हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

28.03.2025/1100/AG/PB/-1

प्रश्न संख्याः 2008 (स्थगित)

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का सरकार की ओर से विस्तार में उत्तर आया है। मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहता हूं कि सरकार के लंबे चौड़े उत्तर में शिमला के लगभग 66 भवन नॉर्म्स के अनुसार असुरक्षित घोषित किए गए हैं। जिसमें आवासीय, सरकारी भवन और सरकारी कार्यालय भी है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, एनिमल हसबेंडरी और स्टेट ऑफिस इत्यादि है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन आवासीय भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है उनमें वर्तमान में रह रहे कर्मचारीयों और अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है? ये भवन जब से असुरक्षित घोषित किए गए हैं तब से उन कर्मचारियों/अधिकारियों को जी0ए0डी0 में कितनी अलॉटमेंट हुई? पहले मैं यह जानना चाहता हूं और आप मुझे इसके बाद अवश्य सप्लीमेंट्री के लिए समय देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब कोई भवन नियमों और उसके पैरामीटर्स के अनुसार असुरक्षित घोषित किया जाता है उसके बाद उसमें रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को नोटिस देकर सूचित किया जाता कि यह असुरक्षित है। उसके पश्चात किसी कर्मचारी/अधिकारी को जी0ए0डी0 के माध्यम से आवास आबंटित किया जाता है और कोई निजी आवास में चला जाता है, **ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है इसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराऊंगा।**

दूसरा, जी0ए0डी0 के माध्यम से जो भी पैरामीटर तय किए गए है उनके आधार पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में हाउस अलॉटमेंट कमेटी बनी है। इस कमेटी में एक सदस्य हाई कोर्ट से भी होता है। इसमें यह समस्या आ रही है कि हाई कोर्ट द्वारा अपने अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं और उन्होंने आपने स्तर पर अलॉटमैंट प्रक्रिया शुरू कर

दी है। उन्होंने पिछले दिनों मंत्रियों और सी0पी0एस0 की कोठियों की अलॉटमेंट प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

28.03.2025/1105/A.G/ A.P/1

प्रश्न संख्या : 2008 जारी...

मुख्य मंत्री जारी .....

उनसे हमारी बात हुई है कि जो जी.ए.डी. के तहत एकोमोडेशन खाली होती है, उनको पैरामीटर के हिसाब से अलॉट कर दिया जाता है और पैरामीटर के हिसाब से जिसको भी एकोमोडेशन मिलती है, उसको अगर असुरक्षित भवन में अलॉटमैंट हुई है तो उसको भी हम प्रेफरेंस देते हैं कि उनको जल्दी से सुरक्षित भवन में अलॉटमैंट करवाई जाए। अभी पिछले कल यू.एस.क्लब के आस-पास आग लगी, तो जी.ए.डी. को हमने डायरेक्शन देकर एकदम उनको एक हाउस अलॉट करने के लिए आदेश दिए। जी.ए.डी. को डायरेक्शन देकर परिस्थितियों के हिसाब से भी अलॉटमेंट की जाती है।

श्री विपिन सिंह परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं शिमला की सूची पढ़ रहा था तो उसमें जो मेट्रोपोल है, जहां पर कर्मचारी और कुछ एक विधायकों को भी अलॉटमेंट हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बिल्डिंग भी अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई है। अगर अनसेफ डिक्लेअर कर दी गई है तो यहां पर कितने कर्मचारी या विधायक हैं, जिनको यह अलॉटमेंट की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह अनसेफ डिक्लेअर की गई है तो इस अनसेफ बिल्डिंग पर सरकार की ओर से क्या कोई प्रपोजल है? यहां पर जो विधानसभा के कर्मचारी हैं या जो भी विधायक हैं, उनको रेजिडेंशियल फ्लैट्स या भवन बनावांए जाएंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात कि जो कर्मचारी इस अनसेफ बि़ल्डिग में रह रहें है। क्या इन कर्मचारियों को जी.ए.डी. में ऐसे भवन या मकान देने का सरकार विचार रखती है?

28.03.2025/1105/A.G/ A.P/2

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिमला के सर्कुलर रोड़ में जितनी बिल्डिंग है, वहां पर रोड़ बड़ा कन्जेस्टेड होता जा रहा है। इसकी अगर बात करूं तो शिमला में रोड़ को डीकंजंक्शन करने के लिए हमें सड़क के किनारे जितनी भी बिल्डिंग हैं, चाहे वह लिफ्ट से स्टार्ट होती है। उसके लिए अपने लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस सर्कुलर रोड में चलाया हुआ है। उसकी नोटिफिकेशन भी होने वाली है। इसी संदर्भ में, मैं आपके सवाल को बताना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से मेट्रोपोल को अनसेफ घोषित किया गया है और वह बिल्ड़िग अब रहने लायक नहीं है। लेकिन उसके अलावा उस बिल्डिंग में जो कर्मचारी रह रहे हैं या विधायक रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य और आप सभी अनुरोध करूंगा कि उस तरफ अभी फर्स्ट फेज़ में जो पुरानी बिल्डिंग है, उसमें कोई अलॉटमेंट न की जाए। वहां जितने भी सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं उनके लिए हम एक प्रपोजल लेकर आए हैं। अगर वह 10 हज़ार से ऊपर के किराए के मकान ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशंनस है 15 हज़ार तक भी ले सकते हैं। मैंने माननीय सदस्य से अनुरोध किया है कि अगर कल को कोई घटना होती है तो विधानसभा का ऑफिस जिम्मेदार होगा। मैं यह आपको कहना चाहता हूं कि उसी बिल्डिंग के लिए हमने पैसा अलॉट किया है और तकरीबन 38 करोड़ रुपये उसके लिए अलॉट किया है। आप देखते हैं कि ऊपर रोकसी के पास भी विधान सभा सैशन के दौरान लंबी गाड़ियां खड़ी रहती है। जबकि वह रिस्ट्रिक्टेड रोड है, हमने बोला कि उसकी पार्किंग भी नीचे बनाई जाए, इसके लिए 38 करोड रुपये इनिशियल अमाउंट है। अगर उसमें 100 करोड रुपये और खर्च करना पड़ेगा, तो एम.एल.ए. के लिए फॉर बैडरूम का सेट बनाने के लिए हमने बोला है। उसमें हम खर्च करेंगे, लेकिन मेरी आपसे व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना रहेगी कि अगर अनसेफ बिल्डिंग होगी तो उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, विधानसभा का ऑफिस जिम्मेदार होगा। मैं चाहूंगा कि आप दो महीने के भीतर इस पर फैसला करें और फैसला करने के बाद जिन कर्मचारियों को इसमें दिक्कत नहीं होगी उन कर्मचारियों को हम किराया पॉलिसी के हिसाब से मकान अलॉट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके लिए अकोमोडेशन बनाने के लिए भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर विधान सभा की कहीं जगह है तो वहां पर अकोमोडेशन बनाने के लिए भी पैसा उपलब्ध करवाने को तैयार है। 11 से 12 महीनों में बिल्डिंग बन जाती है। मैं

आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि दो महीने के अंदर उस पर कार्रवाही आगे की जाएगी।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

28.03.2025/1110/at/DC/1

प्रश्न संख्या 2008 जारी ...

अध्यक्ष : जो रेलिवेंट था वह आप ने पूछा नहीं, जैसे हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को by order of Hon'ble Court हाउसिंग कमेटी का मेंबर बना दिया then why not Secretary Vidhan Sabha also be the Member of that Committee. I have written a letter to the Government if Hon'ble High Court can do this then why not Vidhan Sabha Secretariat can do this itself.

28.03.2025/1110/at/DC/2

प्रश्न संख्या 2948

डॉ जनक राजः अध्यक्ष महोदय, जो मटोर और शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। इस मार्ग पर लगभग 46 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आना-जाना शिमला के लिए होता है। उसकी स्थिति खासकर ब्रह्मपुखर से शिमला बहुत घुमावदार मोड़ है और यह रास्ता बहुत मुश्किल भरा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सेगमेंट को प्रायोरिटी पर एन0एच0ए0आई0 से टेकअप करके इसका काम प्रायोरिटी पर करवाएगी?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विधायक जी ने जो शिमला मटोर क्षेत्र के एन0एच0ए0आई0 का सवाल किया है, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण फोरलेन का कार्य इस पर होना है और एन0एच0ए0आई0 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है। कुल मिलाकर आठ पैकेज में इस कार्य को बांटा गया है। इसके पहले पैकेज में शिमला से शालाघाट जो 30 किलोमीटर है, उसकी डी0पी0आर0 बनाने का कार्य प्रगति पर है। यह वित्तीय वर्ष 2025 -26 में बनकर तैयार हो जाएगी और वर्ष 2026 तक इस कार्य

को अवार्ड कर दिया जाएगा। जो उसका दूसरा सेक्शन है, दरियोटा से कोलका, इसकी भी डी0पी0आर0 बना ली गई है तथा वर्ष 2025 में इसके टेंडर अवार्ड कर दिए जाएंगे। जो तीसरा है, कलकर बाला से दरियोटा, इसकी भी निविदा आमंत्रित कर ली गई है। वर्ष 2025 में कार्य अवार्ड कर दिया जाएगा। इसके अगले सेक्शन का ऑलरेडी कुछ फोरलेन का काम हो चुका है। आगे आपका हमीरपुर और कांगड़ा के इलाकों में इसका काम चला हुआ है । मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको समय आधारित और समय पर एन0एच0ए0आई0 पूरा करेगी। मगर मैं यह चिंता व्यक्त करना चाहता हूं on behalf of the State Government. I raised this issue yesterday also and it is imperative for me to raise this issue again. As a State any national authority working in Himachal Pradesh has to be responsible to the State Authorities. If I would use the right words, in functioning of NHAI I find cockiness, high headedness and arrogance. यह हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी एजेंसीज़ हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं

28.03.2025/1110/at/DC/3

they have to understand that they have to work in-cohesion with the State Governments. This type of attitude which we are seeing regularly will not be tolerated by the current Government under the leadership of Hon'ble Chief Minister. जहां पर भी इनके लैंड एक्विजिशन के मसले आते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं,जहां पर डेजिग्नेशन होता है, पैसे बांटने होते हैं उसमें भी हम इनको पूरा सहयोग करते हैं। मगर जिस तरीके से एक तरफा कार्य चल रहा है, यह हिमाचल प्रदेश के हक में नहीं है। मैं आज भी आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह भी और जितने नेशनल हाईवे या फोरलेन के कार्य चल रहे हैं we will take them up with seniors most Officers of NHAI. I will personally take up this issue with Shri Nitin Gadkari ji, Hon'ble Minister of Road Transport & Highways, Government of India और यह बात बिल्कुल साफ की जाएगी कि हिमाचल के हकों की रक्षा करना हमारा दायित्व है,हमारी जिम्मेवारी है और जो भी कार्य हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी के अंदर हो रहा है,

उनको हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर करना होगा। अदरवाइज अपनी ओर से इसमें हम कड़ा संज्ञान लेंगे, यह विश्वास मैं माननीय विधायक को दिलवाना चाहता हूं।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी .....

28.03.2025/1115/DC/MD/1

प्रश्न संख्या : 2948----जारी :

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि हम लोग महीने में चार बार इस रोड़ से आते हैं। जब तक अथॉरिटी इसको पूरी तरह फॉरलेन नहीं बनाती है तब तक इसकी रिपेयर का काम अपने अपने हाथ में लें। जिससे स्टेट के लोगों को कोई परेशानी ना हो और हम लोग फ्रिक्वेंटली वहां से आ जा सके और तो और टूरिस्ट भी वहीं से आते जाते हैं। इसमें स्टेट की पोजीशन या नेशनल हाईवे वालों की पोजिशन खराब नहीं होती इसमें हम लोगों की पोजिशन खराब होती है। इस के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन भी चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करुंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तावित मटौर-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात हो रही है और उसमें सप्लीमेंटरी मेरा क्वेश्चन यह है कि इस प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च मार्ग में मेरे विधान सभा क्षेत्र की लगभग सात-आठ पंचायतें आ रही हैं। लैंड एक्विजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन देखने में आया कि जो प्रभावित परिवार है उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। मेरा प्रश्न माननीय, मंत्री जी से यह है कि जिन परिवारों को अभी कंपनसेशन नहीं मिला है यह कंपनसेशन कब तक उनको मिलेगा। सरकार इस बारे में विचार-विमर्श करे।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब तब शालाघाट और इससे आगे नौणी का फॉरलेन का कार्य सैक्शन में शुरू नहीं होता और नौणी से शालाघाट तक यह प्रस्तावित है। तब तक

हमने इस विषय को रिजनल ऑफिसर एन0एच0ए0आई0 से टेक अप किया है। जब शिमला आना हो तो आधा हिमाचल इस सड़क से होकर गुजरता है तो उसकी मेंटेनेंस का आज ही उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि इसको वह इंटिरिम पीरियड पर जब तक वह कार्य शुरु नहीं होता उसको मेंटेन किया जाएगा। **इसका इंशोरेयस दिया है and we will ensure that it is done in time bound manner.** माननीय सदस्य,श्री संजय अवस्थी जी ने रेज किया है that is with regard to the compensation that has to be paid. As I have previously stated that Competent Authority for Land Acquisition (CALA) Officers that is our Sub-Divisional Officers, SDMs have been designated as

28.03.2025/1115/DC/MD/2

CALA (Competent Authority for Land Acquisition) Officers and I am sure that the amount for the acquisition has been given to them. इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा अभी ऑफ हैंड मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर यह पैसा एन0एच0ए0आई0 से आ गया है तो इम्मीडिएटली इसको आईडेंटिफाई करके रेवेन्यू ऑफिशल्स के साथ मिलकर इसके लिए जो भी एक्वायर्ड जमीन है उनके ऑनर्ज को यह पैसा एक समय अवधि के अंदर बांटा जाएगा।

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, कीरतपुर से कुल्लू तक फॉरलेन हाइवे है और कुल्लू से मनाली टू-लेन हाईवे है। इसमें ढोलू नाल पर एक टोल प्लाजा लग जाए।

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य, श्री भुवनेश्वर गौड़ जी this is a Question pertaining to 'Mataur-Shalaghat- Shimla National Highway' ...(interruption) No this is very specific. आप तो अब फॉरलेन की बात पर आ गए। यहां नेशनल हाईवे की बात नहीं हो रही है। ये एक स्पैसफिक प्रश्न है। आप एक बार इसको पढ़ लें। चलो आप पहले प्रश्न पर चर्चा कर ले फिर उसके बाद देखते हैं यह अलाउ करना है या नहीं।

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब पिछले से पिछले साल बाढ़ आई थी तो यह सारा हाईवे खराब हो गया था और उसके बाद टोल लेना बंद हो गया था। इस वर्ष भी मननीय मुख्य मंत्री जी आए थे यह खुद भी उसी सड़क से आए थे और इन्होंने सड़क की दुर्दशा देखते हुए ऑर्डरज किए थे कि जब तक यह सड़क पूर्ण रुप से ठीक नहीं हो जाती तब तक यह टोल-प्लाजा बंद ही रहे। पर अभी जो इनफॉरमेशन आई है उसके मुताबिक दोवारा से

टोल-प्लाजा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा माननीय, मुख्य मंत्री जी और पीडब्लयू-डी मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि जब तक यह सड़क पूर्ण रुप से तैयार नहीं हो जाती इस सड़क पर टोल न लिया जाए।

Speaker: This is not arising out of this Question but yet I am allowing.

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

28-3-2025/1120/केएस/ एचके/1

प्रश्न संख्या : 2948 जारी---

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब हमने मुख्य मंत्री जी के साथ और गडकरी जी भी वहां आए थे, हमने वहां के क्षतिग्रस्त इलाके का दौरा किया था। उस समय इंडैफिनिट रूप से उस टोल को बंद करने का निर्णय लिया गया था। हम फिर से इस विषय को उठाएंगे कि जब तक इस सड़क की स्थिति को पूरे तरीके से नहीं सुधार लिया जाता, तब तक इस टोल को इंडैफिनिट पीरियड के लिए स्थगित किया जाए, बंद रखा जाए।

श्री रणधीर शर्मा : (***)...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Public Works Minister has said that with due apology to the National Highway Authority of India, I am forced to use these words.

श्री रणधीर शर्मा : (***)

अध्यक्ष : रणधीर शर्मा जी, प्लीज़ ।

श्री रणधीर शर्मा : (***)

Speaker : Not allowed.

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

28-3-2025/1120/केएस/ एचके/2

प्रश्न संख्या : 2949

श्री अजय सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मारकंडा नदी के तटीयकरण की काफी लम्बे समय से मांग चल रही है। इसकी 105 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार को भेजी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हिमाचल सरकार द्वारा फॉलो-अप करके इसको जल्दी से जल्दी धरातल पर लाने में कितना समय लगेगा?

दूसरे, मैंने एक प्रश्न और किया था कि पांवटा साहिब तहसील के अन्तर्गत माजरा क्षेत्र में सुकी खाला (खड्ड) पर जो हर बरसात में भारी तबाही करता है। क्या विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी इसकी डी0पी0आर0 बनाकर इस पर भी कोई कार्य करना प्रस्तावित है?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मारकंडा नदी के तटीयकरण के लिए केंद्र सरकार को 105 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था और टैक्निकल एडवाइज़री कमेटी (TAC) से भी वह अनुमोदित हो गया था। इसकी युनियन से इंवेस्टमैंट क्लीयरेंस भी हो गई थी लेकिन इसका पैसा नहीं आया है। जब भी पैसा आएगा, तो इसका काम शुरू हो पाएगा। दूसरे, माननीय सदस्य ने जो सुकी खाला खड्ड की बात की, इस बारे में अभी तक इन्होंने न तो कोई प्रस्ताव मिनिस्ट्री को भेजा है और न ही हमें भेजा है। ये हमें प्रस्ताव भेजेंगे तो उसके बाद ही डी0पी0आर0 की बात आएगी।

28-3-2025/1120/केएस/ एचके/3

प्रश्न संख्या 2950

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय पझौता (फटी पटेल) को लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और यह धनराशि किस कार्य के लिए खर्च हुई है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि यह जो भवन निर्माण का कार्य है, यह कब तक कम्पलीट हो जाएगा?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.03.2025/1125/AV/HK/1

प्रश्न संख्या : 2950---------- क्रमागत

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके सदंर्भ में अपने लिखित उत्तर में सारी बातें स्पष्ट की हैं। हमारी पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2017 में इसमें 5 करोड़ रुपये की ए0ए0 एण्ड ई0एस0 प्रदान की गई थी। हमारी ही वर्तमान सरकार द्वारा अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान उस पांच करोड़ रुपये की राशि में से डेढ़ करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है। लेकिन महाविद्यालियों में चाहे वह कोटली का प्रश्न था या फिर मटौर या तक्कीपुर का प्रश्न था, आपके कॉलेजिज में जो एनरोलमैंट घट रही है वह एक चिंता का विषय है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर पझौता कॉलेज की बात करूं तो वर्ष 2023-24 में वहां पर 110 बच्चे थे तथा वर्ष 2024-25 में वहां पर केवल 87 बच्चे रह चुके हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान में नेगेटिव पोपुलेशन ग्रोथ रेट की ओर अग्रसर है। हिमाचल प्रदेश में चाहे सरकारी स्कूल की बात की जाए या प्राइवेट स्कूल की, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में जहां कक्षा 1 में 1.25 लाख बच्चों ने एनरोलमैंट ली थी वह अब घटकर 94 हजार हो गई है। जिसका असर कहीं-न-कहीं हमारे स्कूल्ज और कॉलेजिज में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने अपने कार्यकाल के दौरान वहां पर प्रिंसिपल सहित तीन ए0पीज0 की नियुिक्ति भी की है। आपके यहां अधिकतर खाली पद भर दिए गए हैं परंतु एनरोलमैंट का हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी 5 करोड़ रुपये की राशि में से 75 लाख रुपये तो मात्र आपकी अप्रोच रोड के निर्माण में लगे हैं। प्रदेश में स्कूल्ज की बात हो या कॉलेजिज की बात की जाए, लेकिन आज कंसोलिडेशन करना समय की मांग है।

28.03.2025/1125/AV/HK/2

प्रश्न संख्या : 2951

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, अग्नि शमन विभाग से जब तक एन0ओ0सी0 नहीं मिलती तब तक कोई भी होटल रजिस्टर नहीं होता और इसके लिए विभाग ने बहुत ज्यादा मापदण्ड रखे हैं। जिसकी वजह से इस नोटिफिकेशन से पहले जो भवन बनाए गए हैं, वे भी इन्हें फॉलो नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त गांवों में जो लोग अपने घरों को ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट या होम स्टे स्कीम्ज के अंतर्गत लाना चाहते हैं वे भी इन मापदण्डों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हेरिटेज बिल्डिंग्ज जिनमें आप प्लम्बिंग नहीं कर सकते या दूसरे संयत्र नहीं लगा सकते, वे सभी लोग आज अपने होटल को रजिस्टर करने से वंचित रखे जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या टी0टी0डी0ओज0 अग्नि शमन विभाग से मिलकर इन सारी बातों का कोई उपाय निकालेंगे? यदि हां, तो आप इसके संदर्भ में कब तक मीटिंग कनवीन करवाएंगे ताकि जो लोग अपने होटल्ज रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उन्हें रिलीफ मिले?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे ध्यान में काफी महत्वपूर्ण बातें लाई हैं। हम हिमाचल प्रदेश को निश्चित तौर पर बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और हमारी सरकार की यह नीति भी है। लेकिन यह चीज मुझे अभी पता चली है कि होटल का पंजीकरण तब तक नहीं करवा सकते जब तक कि उसके लिए अग्नि शमन विभाग से एन0ओ0सी0 नहीं मिलता। हम इसके संदर्भ में अपनी नीति में बदलाव लाएंगे और जहां नियमों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने की जरूरत होगी, तो वह भी करेंगे। खासकर हेरिटेज बिल्डिंग में तो फायर सिस्टम नहीं होता और अगर आग लग भी जाए तो वह पूरी जल जाती है। **हम इस बारे में कुछ सोचेंगे कि आउटसाइड कोई पानी का टैंक बनाकर उसको किसी तरह से प्रोटैक्ट किया जाए, इस बारे में विचार-विमर्श करेंगे।** आप जानते हैं कि हम टूरिज्म इण्डस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं और टूरिज्म इण्डस्ट्री ही हमें सबसे ज्यादा जी0एस0टी0 देती है। हालांकि कंज्यूमर स्टेट होने के नाते हमें जी0एस0टी0 का ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। **मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में आप इससे संबंधित नियमों में कुछ परिवर्तन देखेंगे।**

श्री बलबीर सिंह वर्मा टी सी द्वारा जारी

28.03.2028/1130/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्या : 2951.... क्रमागत्

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब शिमला या हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या टी0सी0पी0 नक्शे पास करती है तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेयरकेस का कोई प्रावधान नहीं होता। जब कोई होटल व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण करता है और यदि वह डबल स्टेयरकेस की मांग करता है तो उसे परमिशन नहीं दी जाती । इसके अलावा, कॉरपोरेशन और टी0सी0पी0 सेटबैक में स्टेयरकेस निर्माण की अनुमति भी नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और नक्शा स्वीकृत करते समय ही डबल स्टेयरकेस का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि नक्शा स्वीकृत हो गया और निर्माण पूर्ण हो गया तो बाद में उसमें कोई स्टेयरकेस करना संभव नहीं होता। मेरा आग्रह है कि नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे स्टेयरकेस को सेटबैक क्षेत्र में बनाने की अनुमति दी जा सके।

Speaker : There supplementary is not arising out of this question but yet if the Hon'ble Chief Minister wants to reply, he is at liberty.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस मामले में काफी अनुभवी हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से आते हैं। इन्होंने जिस विषय का जिक्र किया है उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि कॉरपोरेशन, टी0सी0पी0 और हेरिटेज क्षेत्र में अलग-अलग नियमों के तहत नक्शे पास किए जाते हैं। कॉरपोरेशन के द्वारा नक्शे पास करने के मामले को सरकार गंभीरता से लेगी और एक स्पष्ट नीति बनाएगी कि कॉरपोरेशन को किस दिशा में कार्य करना है। इसके लिए इनके नियमों में भी परिवर्तन किए जाएंगे। हम एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, और यहां भवन निर्माण से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए सड़क के दोनों ओर ऊंची इमारतें बन जाने से टनल जैसी स्थिति बन जाती है जिससे दृश्य अवरुद्ध हो जाता है। हम इस दिशा में भी सुधार करने जा रहे हैं ताकि निर्माण का स्वरूप ऐसा हो कि प्राकृतिक सुंदरता बाधित न हो। होटल निर्माण से संबंधित अन्य समस्याओं, जैसे कि रैंप न बना पाना आदि को भी हम देखेंगे। टी0सी0पी0 और कॉरपोरेशन

के नियमों को एक समान और स्पष्ट किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य सुचारू रूप से हो सके। हमारी सरकार इस पर गंभीरता से कार्य कर रही है और जल्द ही एक नीति बनाई

28.03.2028/1130/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

जाएगी जिसके तहत "वैली साइड" की ऊंचाई सीमित रखी जाएगी, ताकि सारी वैली ढक न जाए। इसके लिए कॉरपोरेशन के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। कई बार हमने देखा है कि हेरिटेज भवनों के नाम पर कॉरपोरेशन द्वारा भवन पास किए जाते हैं, लेकिन बाद में वे बहुमंजिला इमारतों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी सुधार की आवश्यकता है। मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए और आवश्यक नियम परिवर्तन किए जाएं।

श्री हरीश जनारथा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा स्टेयरकेस से जुड़ी समस्या पर जो प्रश्न उठाया गया है, उसमें यह स्पष्ट है कि टी0सी0पी0 और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टेयरकेस की अनुमति देती हैं, लेकिन इसकी अनुमति एफ0ए0आर0 के भीतर ही दी जाती है। अधिकतर मामलों में निर्माणकर्ताओं द्वारा स्टेयरकेस के लिए पर्याप्त स्थान नहीं छोड़ा जाता और बाद में FAR (Floor Area Ratio) में एक्स्ट्रा परमिशन मांगते हैं कि which is not permissible later to makes stair cases beyond the exceeding FAR (Floor Area Ratio) outside the premises.

प्रश्न समाप्त

28.03.2028/1130/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

प्रश्न संख्याः 2952

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैंने एक बहुत ही साधारण प्रश्न किया था कि बीते 2 वर्षों (वर्ष 2022-23)में कितने मेधावी छात्रों को श्रीनिवास रामानुजन स्टुडेंस डिजिटल योजना के तहत लाभान्वित किया गया है? आपने उत्तर में बताया है कि इसके रिडेंप्शन वाउचर जारी कर दिए गए हैं और इसके

लिए दो अर्थोरिटीस एच0पी0 स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा विभाग स्वयं इस प्रक्रिया को संचालित नहीं कर सकता? इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करावाई जाए, जिन्हें बीते 2 वर्षों में यह सहायता दी गई?

शिक्षा मंत्री एन0एस0 द्वारा शुरू ...

28-03-2025/1135/एन0एस0-वाई0के0/1

प्रश्न संख्या : 2952-----क्रमागत

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2023 में यह निर्णय लिया था। कहीं-न-कहीं क्वालिटी से संबंधित इस तरह के प्रश्न उठते थे कि हमें डिजिटल डिवाइस ठीक नहीं मिला है। उसमें पारदर्शिता हो, हमने इसी सोच के साथ रिडेम्पशन बाउचर की बात की है। हमने वर्दियों में डी0बी0टी0 का प्रारम्भ किया था। इसी तरह से जो डिजिटल डिवाइसिस मिलते हैं तो ये रिडेम्पशन बाउचर के माध्यम से मिलें और हमने इसके लिए एच0पी0एस0ई0डी0सी0 को अधिकृत किया था क्योंकि इसमें पेमैंट से संबंधित विषय था। हमारा नेशनल पेमैंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो यह सी0पी0एस0यू0 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अधिकृत है। इनके द्वारा डिजिटल पेमैंटस हों तो अब वर्तमान में इसका सिस्टम बन चुका है और शीघ्रातिशीघ्र जो पेमैंटस बच्चों की बनती है तो इस बाउचर के माध्यम से दी जाएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें सोच यही रही कि हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी हो। मैं पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान के फैक्ट्स यहां पर रखना चाहता हूं। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 व वर्ष 2020-21 में डिजिटल डिवाइस का एक साथ ही दशहरे में आबंटन किया गया था और हमने 25 करोड़ रुपये की राशि एच0पी0एस0ई0डी0सी0 को दी है। क्योंकि अब मैकेनिज्म वर्क आउट हो चुका है तो शीघ्रातिशीघ्र पात्र बच्चों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मैं गांव से संबंध रखता हूं और गांव के सरकारी स्कूलों में मेधावी बच्चे पढ़ कर निकल रहे हैं तो इसमें यही शंका है कि गांव में अभिभावक सजग नहीं है कि बच्चों को लैपटोप या इलैक्ट्रोनिक डिवाइस देना जरूरी है। अब 16,000 रुपये अगर किसी के अकाउंट में जाएंगे तो उसका मिसयूज कई बार कई परिवारों ने किया है। इसमें समस्या यही है। क्या सरकार उस पैसे को एंश्योर करेगी कि वह राशि बच्चों पर ही यूज हो?

Education Minister : This is suggestion for action और निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग न हो तो ऐसा निश्चित किया जाएगा।

28-03-2025/1135/एन0एस0-वाई0के0/2

प्रश्न संख्याः 2953

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल डेढ़ वर्ष पहले भी इस सदन में पूछा था और उत्तर यही मिला कि हम जगह देख रहे हैं। चम्बा शहर नगर परिषद् है और वहां पर लगभग 8 वर्षों से मैहला क्षेत्र में कूड़ा डम्प करने के लिए जगह आबंटित की गई है। वहां पर कूड़ा सयंत्र प्लांट भी लगाया गया है और कूड़े की सेग्रीगेशन भी की जाती है। यह एरिया अंडर लिटिगेशन भी है। वहां पर वर्ष में 2-3 बार गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं और उनका यह बोलना है कि यह सयंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। उस क्षेत्र में दो बार आग लग चुकी है। यह कूड़ा सयंत्र प्लांट 2 माह पहले पूरी तरह जल चुका है। इसी कारण वहां पर कई बार गांव के लोग हाइवे को जाम कर देते हैं। चम्बा शहर का कूड़ा रावी नदी के ऊपर डम्प किया जा रहा है या नालों के ऊपर डम्प किया जा रहा है। जब हम उपायुक्त को फोन करते हैं तब सख्ती होती है। नगर परिषद् के ठेकेदार हमें आकर बोलते हैं कि हम कूड़ा कहां फेंके क्योंकि हमें यही प्वाईंट दिया गया है? आप हमें यहां कूड़ा फेंकने नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, शहर से रोज भारी मात्रा में कूड़ा उठाया जाता है। वहां पर यह बहुत ही विकट समस्या पैदा हुई है। इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार

शीघ्रातिशीघ्र कोई कार्रवाई करे। क्या सरकार इसके लिए कोई नई जगह देखने का विचार करेगी?

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.03.2025/1140/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 2953... जारी

श्री नीरज नैय्यर... जारी

चम्बा में ततवानी के पास जल शक्ति विभाग द्वारा एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट शहर के पास ही है और वहां पर थोड़ी और जगह भी उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि वहां पर भी कुछ वैकल्पिक काम किया जाए।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चम्बा के संदर्भ में यह चिंता जाहिर की है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह समस्या केवल चम्बा तक ही सीमित नहीं है। प्रदेश में जहां भी बड़े अर्बन सेंटर बन रहे हैं वहां पर अर्बन और रूरल एरिया के बीच कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है। हमें कुल्लू-मनाली और शिमला में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। आप चम्बा का भी जिक्र कर रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि चम्बा नगर परिषद के पास तकरीबन 10 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसलिए इसके लिए बजट की तो कोई समस्या नहीं है। जहां तक इसके लिए जमीन की आवश्यकता है उसके लिए हमें कहीं-न-कहीं समन्वय बनाने की आवश्यकता है। I would request the Hon'ble Member of the Legislative Assembly to use his good office and influence to speak to the people in the rural areas और जो डेज़िगनेटिड साइट है वह वर्ष 2024 तक चालू थी लेकिन उसके बाद उसमें रात को आग लग गई और फिर वहां स्थानीय लोगों के साथ कॉन्फ्रंटेशन होना शुरू हो गया। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यह मसला संवाद और समन्वय से ही सुलझेगा। अतः मेरा सुझाव है कि इसमें समन्वय बनाने के लिए माननीय सदस्य भी अपना प्रभाव उपयोग करें। वहां के उपायुक्त महोदय और नगर परिषद के ई0ओ0 भी इसमें अपना सहयोग देंगे। हम इसके लिए एक जगह आइडेंटिफाई करेंगे अगर वही मौजूदा जगह होगी तो ठीक है लेकिन यदि आप कहीं और जगह ढूंढ़ना चाहें तो

आप वह ढूंढ़ सकते हैं। साथ ही हम जो नई तकनीक चाहते हैं क्योंकि अब नए इंसिनेटर आ रहे हैं जिनमें प्रदूषण कम होता है। अगर इसमें आपने कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है जिससे इलाके में प्रदूषण कम हो और रूरल एरिया में कोई दिक्कत न आए तो हम उस दृष्टि से भी कार्य करेंगे। लेकिन इसके लिए माननीय विधायक को भी अपना योगदान देना पड़ेगा।

28.03.2025/1140/RKS/AG-2

श्री नीरज नैय्यरः अध्यक्ष महोदय, वहां पर मशीनरी दूसरी बार जल गई है। वहां पर इसके लिए पैसे का पूरा प्रावधान है लेकिन मैं चाहूंगा कि उस इलाके में जो दोबारा से उपकरण लगें, वे टॉप ऑफ द लाइन लगें। इसमें समस्या यह है कि जो ठेकेदार इसका सेग्रिगेशन का काम लेता है और जो मशीनरी ऑपरेट करता है उनके टेंडर बीच में बदलते रहते हैं। जब ठेकेदार अच्छे ढंग से काम करता है तो इलाके के अंदर बदबू भी कम आती है और प्रदूषण भी कम होता है। इसलिए इस चीज को देखना जरूरी है ताकि जो लोग काम लें वे तकनीकी रूप से सक्षम हों।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम इसकी गुणवत्ता को बनाए रखेंगे। जिसको भी इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम दिया जाएगा, **we will ensure that they have adequate knowledge about the disposal and segregation and such kind of incidence should not happen in the future उसका हम खास ध्यान रखेंगे।**यह समस्या श्री नीरज नैय्यर जी की विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि जितने भी बड़े नगर निगम हैं या जहां पर कचरे का डिस्पोजल बड़ा प्रश्न बन रहा है, उसे हम देख रहे हैं। पिछले कल भी एक माननीय सदस्य ने ग्लोबल वार्मिंग पर एक चर्चा उठाई थी। हमें इसको इस परिपेक्ष से भी देखने की आवश्यकता है। **अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कचरे का डिस्पोजल सही तरीके से होना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।** इसके लिए टाइड और अनटाइड के माध्यम से भी भारत सरकार से पैसा आता है। **We will try to get the best grants from Delhi also and हम सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे ताकि क्षेत्र के लोगों के हित में इसका सही उपयोग हो सके।**

प्रश्न संख्याः 2954

श्री सुरेन्द्र शौरी : अनुपस्थित

28.03.2025/1140/RKS/AG-3

प्रश्न संख्याः 2955

मुख्य मंत्री : सूचना सभापटल पर रख दी गई है।

कैप्टन रणजीत सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है, मैं उससे संतुष्ट हूं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1145/बी.एस./एच के/-1

प्रश्न संख्याः 2956

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 2022 से ग्रास कटिंग की जो सब्सिडी अभी तक पेंडिंग है, क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इसे कब तक किसानों को दे दिया जाएगा? इसके अलावा मुझे उत्तर के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वह आधी जानकारी है। क्या मंत्री जी नाम सहित तथा किस व्यक्ति को कितनी राशि दी गई है, उसकी सूची प्रदान करेंगे?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2020-25 तक करसोग विधान सभा क्षेत्र में 19,40,449 लाख रुपये अनुदान के रूप में किसानों को डी0बी0टी0 द्वारा प्रदान किए गए जिसमें पावर टिलर/पावर वीडर पर 5,48,824 रुपये, ब्रश कटर पर 1,91,625 रुपये व ट्रैक्टर पर 12,00,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए गए। इसके अलावा पावर टिलर/वीडर, ब्रश कटर व ट्रैक्टर के 224-25 में क्रमशः 5 केस 3 केस व 2 केस की अनुदान की अदायगी शेष है। जिसका ब्यौरा अनुबंध-क व ख पर दिया गया है।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना तो मुझे मिल चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सिलेक्शन के पैरामीटर्ज क्या हैं? और ग्रास कटिंग के ऊपर जैसा मैंने बताया कि उसकी सब्सिडी नहीं मिली है और जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है, कृपया उनकी नाम सहित पूरी सूचना देने की कृपा करें।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नाम सहित तो प्रश्न में नहीं पूछा था कि कितने लोगों को सब्सिडी दी गई है। लेकिन जो हमारे पास वर्ष 2024-25-26 तक पेंडेंसी है वह सिर्फ 12 केसिज की है। बाकी लोगों को हमने अनुदान स्वीकृत कर दिया था।

28.03.2025/1145/बी.एस./एच के/-2

प्रश्न संख्याः 2957

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि हमारे जो साइलेंट अटैक से बड़े युवाओं की मौत हो रही है और उसका आंकड़ा आये दिन बढ़ता जा रहा है। जब जब उनका आंकड़ा बढ़ा है तो उससे कहीं-न-कहीं यह भी सुप्रीम कोर्ट में माना गया है कि जो हमारी कोरोना की वेक्सीन लगाई गई है उसका भी बोडी पर साइड अफेक्ट्स हुआ है और उसकी वजह से जो मौते हुई हैं इसमें ज्यादातर युवा जो 20-50 साल तक के हैं उनकी मौते ज्यादा हो रही हैं। मैंने मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में इन्होंने अन्य बीमारियों की वजह से मौतें बताई हैं और उसकी सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा के अंदर एक 27 साल का लड़का था, मैं उसकी शादी में गया और उसके 7 माह के बाद उसकी दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए जाना पड़ा। उसकी साइंलेट अटैक से मृत्यु हुई है। दूसरा आनंदपुर में एक लड़का मैदान में खेल रहा था उसे भी साइलेंट अटैक पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह से हम आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि कोई डांस करते हुए या कोई खेलते हुए तथा कोई कार्यालय में बैठा है उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ रहे हैं। सर, इसमें कहीं-न-कहीं कोविड की जो वैक्सीन है उसके भी साइड अफेक्ट्स देखने में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बाहरी कंपनियों ने माना है कि हमारी कंपनियों के द्वारा बनाई हुई कोरोना वेक्सीन के साइड अफेक्ट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी मौतें हुई हैं? यह जो इतनी मौते हो

रही हैं, क्या सरकार और हमारा विभाग इस पर कोई संज्ञान ले रहा है? और इन मौतों को कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि इसमें युवाओं की मौते ज्यादा हो रही हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न के उत्तर में यह है कि पिछली साल से इस साल मौते कम हुई हैं और यह कई बीमारियों से हुई हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.03.2025/1150/DT/DC-1

प्रशन संख्या 2957 जारी.....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, it is general feeling among masses की जो कोरोना टीका के बाद कुछ एक यंगर ऐज ग्रुप में मृत्यु की घटनाएँ नोटिस की गई हैं। But when we see the real figures वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 20 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की दर्ज की गई मृत्यु की संख्या क्रमशः 4773 व 3967 रही है। जब इसका तुलनात्मक ग्राफ देखा गया and the reason for the deaths, we have long list of that. बेसिकली जो एक्सिडेंटल बर्न्स या एक्सिटेंटल प्वाइजनिंग, लीवर डिजिज, जोंडिस, रिनल फेल्योर all these are the reasons attributed to that. ऐसा आधिकारिक या प्रमाणिक वैज्ञानिक तथ्य इस प्रकार के विश्वास को समर्थन करने के लिए अब तक नहीं मिला है कि हम आधिकारिक रूप से कह सकें and attribute this reason for the COVID vaccination.

28.03.2025/1150/DT/DC-2

प्रश्न संख्याः 2958

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रतिपूरक प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में एंट्री के समय जो ट्रैफिक जाम लगता है इससे निपटने के लिए हमें कदम उठाने की

आवश्यकता है। यहां पर गैर-हिमाचली लोग आ रहे हैं और जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट फ्रेंडली राज्य बनें। I want to say that Kasauli should be given preference for easy access and I would also request Hon'ble Chief Minister to prioritize the Fast Tag process and Kasauli being given preference.

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है। कसौली टूरिस्ट प्लेस के रूप में काफी विकसित हो है। जो इन्होंने फास्टैग की बात कही है तो फास्टैग के क्षेत्र में मैं यह कहना चाहूंग कि इस बार जो टोल टैक्स कलैक्शन का टैन्डर हुआ है उसमें जिसे टोल टैक्स केलेक्ट करने की जिम्मेवारी दी है वह टोल टैक्स में फास्टैग का कार्य भी सुनिश्चित करेंग ताकि लोगों को लंबी क्यू से राहत मिल सके।

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के दूसरे भाग में यह कहा है की 'क्या सरकार अपना फास्टैग बनाने का विचार रखती है'। प्रश्न के उतर में आया है की 'जो वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत टोल नीति है उसके अन्तर्गत फास्टैग सुविधा प्रदान की जाएगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि फास्टैग कौन सा होगा? क्या जो फास्टैग प्रदेश में चलता है यह वह होगा जो पूरे देश में चलता है?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का कोई फास्टैग नही है। यू0पी0आई0 द्वारा जो भी फास्टैग दिया जाएगा और उसमें एन0एच0आई0 के साथ समझौता होगा। जिसे टोल कलैक्शन की जिम्मेवारी दी है उसे तय करना है कि कौन सा फास्टटैग लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का अपना कोई फास्टैग नहीं है।

प्रश्न संख्याः 2959

श्री बिक्रम सिंह : अनुपस्थित

28.03.2025/1150/DT/DC-3

प्रश्न संख्याः 2960

श्री मलेन्द्र राजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हर विधान सभा सत्र में इस प्रश्न की जानकारी प्राप्त करनी चाही थी लेकिन इस बार माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने इसकी विस्तृत जानकारी दी है। प्रश्न के उत्तर में बताया गया है की राम गोपाल मंदिर, डमटाल की भूमि लगभग 17418 कनाल है।

श्रीमती पी. बी. द्वारा ...जारी

28.03.2025/1155/DC/PB/-1

प्रश्न संख्याः 2960 क्रमागत...

श्री मलेन्द्र राजन जारी...

इसमे कुछ भूमि पंजाब और शाहपुर के अंदर भी है। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंदिर की वह भूमि जो पंजाब के अंदर है क्या सरकार उसे भी अपने नियंत्रण में लेगी और कब तक लेगी? इसकी मुझे जहां तक जानकारी है उसके अनुसार वहां पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं और इलीगल रूप से असेट्स भी बनाए हुए हैं। दूसरा, मेरा यह कंसर्न है कि रामगोपाल मंदिर संपत्ति के अनुसार, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा मंदिर है लेकिन उस मंदिर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से मंदिर में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है उसमें बहुत सी अनियमितताएं हैं। क्या मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इस बार मंदिर का रिपेयर या जो भी अन्य कार्य होगा वह पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा करवाया जाएगा?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लगातार इस मंदिर के सुधारीकरण पर काम कर रहे है। इस मंदिर के पास बहुत ज्यादा जमीन है जोकि 17,418 कनाल है। हमने इसकी निशानदेही की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें से 8863 कनाल की निशानदेही करवा दी गई है। इसमें हमें रेवेन्यू स्टाफ की दिक्कत आ रही है। मैंने इस बारे में आज सुबह ही राजस्व मंत्री जी से बात की है कि इतनी बड़ी जमीन को नियंत्रित करने के लिए आप हमें चाहे स्टाफ दे और चाहे पेड स्टाफ दे दें, हम उन्हें पैसा देने के लिए भी तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि इस मंदिर की 2000 कनाल जमीन पंजाब में भी है। हमें उसे भी अपने कब्जे में लेना है। इस मंदिर के उच्च न्यायालय में काफी अरसे से 50 करोड़ रुपये जमा है तथा 16 करोड़ रुपये मंदिर के पास भी है। सरकार द्वारा जब से मंदिर का अधिग्रहण किया गया है उससे पहले से ही मंदिर भूमि पर अतिक्रमण चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपका भी इस क्षेत्र के प्रति काफी स्नेह है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने इस मंदिर की भूमि पर लीगल, इलीगल या कब्जा करके जो दुकानें बनाई हुई है उनकी संख्या 176 हैं। ये दुकानदार मंदिर को क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए डिटेल जांच करवानी पड़ेगी कि कब उन्हें दुकान मिली थी, दुकान पट्टे या किराए

28.03.2025/1155/DC/PB/-2

पर दी है या उसका क्या सिस्टम बनाना है? मंदिर की जमीन में 12 लोगों ने स्टोन क्रेशर लगा दिए हैं। यह स्टोन क्रेशर मंदिर की जमीन पर कैसे और किसी तरह से लगे हैं, ये मंदिर को क्या दे रहे हैं इसकी भी जांच करवानी है। मंदिर की ही जमीन पर पांच पेट्रोल पंप और चार होटल बन चुके हैं। एक व्यक्ति ने तो इस पर वर्कशॉप बना ली है। मुझे लगता है कि जिसका जब दाव लगा उसने इस मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन ने इसे हमारे ध्यान में लाया है। हम इस मंदिर की सारी जमीन को किस ढंग से पोजेशन में लेंगे और जिन-जिन के पास यह जमीन है या उनके कब्जे है उसके बारे में हम क्या कर सकते है, इस बारे में विभाग द्वारा कोई न कोई प्लान बनाने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।

28.03.2025/1155/DC/PB/-3

प्रश्न संख्याः 2961

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे मिली है उसमें लिखा है कि 15 दिनों के भीतर रोड खोल दिया गया था। यह रोड छोटी गाड़ियों के लिए 15 दिन के अंदर को खोल दिया गया था परंतु आज 9 महीने हो गये है और वहां बस अभी भी नहीं पहुंच रही है।

मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या वह आश्वस्त करेंगे कि वहां का काम हो जाएगा और बस वहां तक पहुंच जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बागी पुल की जो बात उठाई है मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने वहां पर तुरंत कार्रवाई की है। आपके बागी में जो दो पुल बरसात के कारण बह गए थे उन दोनों जगहों पर वैली ब्रिजिज लगाए गए हैं और यातायात को खोल दिया गया है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

28.03.2025/1200/H.K/ A.P/1

प्रश्न संख्या : 2961 ....

लोक निर्माण मंत्री जारी ....

इस इलाके में जितने भी लिक रोड्स है, क्यांकि वहां पर बागा-सराहन का इलाका है जो कि बहुत खुबसूरत है, टूरिस्ट के नज़रिया से, इस समय यह बंद है। अगर ऐसा है तो उसको गाड़ियों के लिए और बड़ी बसों के लिए तुरंत खोल दिया जाएगा, इसका मैं विधायक जी को पूरा विश्वास दिलाता हूं।

प्रश्न काल समाप्त

28.03.2025/1200/H.K/ A.P/2

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : वर्तमान सरकार के प्रयासों से 100 मेगावाट जलविद्युत क्षमता की ऊहल जलविद्युत परियोजना (तृतीय चरण) में जल विद्युत उत्पादन के बारे में इस सदन में वक्तव्य देना चाहता हूं।

वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश की महत्वकांक्षी 100 मेगावाट जलविद्युत क्षमता की ऊहल जलविद्युत परियोजना (तृतीय चरण) में जल विद्युत उत्पादन आरम्भ हो गया है। इस जलविद्युत परियोजना में विद्युत शुरू होने से हिमाचल प्रदेश के उर्जा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हमारी सरकार द्वारा जो तीव्र गति से काम करने हमारी व्यवस्था है, उसके कारण यह संभव हो पाया है। लम्बे समय से प्रतिक्षारत परियोजना के सम्पूर्ण हो जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। सत्ता सम्भालते ही वर्ष जनवरी 2023 में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस परियोजना के कार्यशील कार्यों की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार कार्य स्थल पर स्वंय जा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। मैं इस परियोजना के निर्माण कार्य को गति प्रदान के लिए सरकार के हस्तक्षेप से तुरन्त 185 करोड़ रूपए का ऋण लेने के लिए सौ प्रतिशत नो डिफाल्ट गारंटी सरकार द्वारा दी गई। जिस कारण यह परियोजना सम्पूर्ण हो सकी है। लगातार इस परियोजना पर नज़र रखने के फलस्वरूप इस परियोजना से वर्तमान में विद्युत उत्पादन का अच्छा परिणाम सामने आया रहा है और प्रायोगिक तौर पर शुरूआत में बीते 45 दिनों में दो करोड़ युनिट बिजली तैयार कर अनुमानित दस करोड़ रूपए की आय भी इस विद्युत उत्पादन से हुई है। यह जलविद्युत परियोजना अब एक वर्ष में 392 एम०यु० विद्युत उत्पादन करेगी। जिससे लगभग 200 करोड़ रूपए की वार्षिक आय होगी। यह जलविद्युत परियोजना जल्द ही विधिवत तौर पर प्रदेश की जनता को समर्पित कर दी जाएगी।100 मैगावाट की इस परियोजना की सभी सम्बन्धित अधोसंरचनाओं का निर्माण कार्य दिसंबर, 2024 में सम्पूर्ण कर लिया गया था। उसके उपरांत परियोजना के परिचालन के लिए 11 किलोमीटर लम्बे वाटस कंडक्टरस सिस्टम में जल भराव किया गया तथा पहली मशीन को पावर ग्रीड के साथ दिनांक : 28 जनवरी, 2025, दुसरी को दिनांक : 08 फरवरी, 2025 तथा तीसरी मशीन को दिनांक 17 फरवरी, 2025 को जोड दिया गया है और विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। हर्ष का विषय है कि पिछले कल दिनांक : 26 मार्च, 2025 को

28.03.2025/1200/H.K/ A.P/3

इस परियोजना का प्रायोगिक रूप से कुल 100 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन सफल रहा। इस परियोजना का कार्य 2003 में शुरू किया गया था और 22 वर्षों के लम्बे समय के

बाद माननीय अध्यक्ष महोदय जब हमारी सरकार आई। हमने पावर प्रोजैक्ट में रूची रखकर, अधिकारियों को दिशानिर्देश दे कर। इसके अतिरिक्त जो उनके पास पैसे की कमी थीं, उसमें हस्तक्षेप करके हमने इसको तुरंत प्रभाव से करवाया। आपके समय में हमने 185 करोड़ रुपये 2 सालों में दिया। वर्तमान सरकार के प्रयासों से इस परियोजना ने विद्युत प्रायोगिक तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया है। इस अवसर पर मैं सभी सदन के सदस्यों और प्रदेशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं यह आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर हिमाचल प्रदेश के बढ़ते कदम है, धन्यवाद।

28.03.2025/1200/H.K/ A.P/4

शून्य काल

अध्यक्ष : शून्य काल में कुछ विषय मेरे ध्यान में लाए गये हैं, सचिवालय के द्वारा जैसे माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी का इश्यू तो प्रश्न के माध्यम से ही उप-मुख्य मंत्री जी द्वारा विस्तृत उत्तर दे दिया गया है। इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं। This has come now on the records. Shri Malender Rajanji you cannot ask time and again. अब एक विषय माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार जी के द्वारा है, I am allowing you Shri Lokender Kumarji to raise you Point of Order.

श्री लोकेन्दर कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपना विषय कहने जा रहा हूं। दिनांक 31 जुलाई की रात को जब हमारे क्षेत्र समेज मे जब
श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

श्री लोकेन्दर कुमार जारी ...

हमारे क्षेत्र में जब बादल फटा तो समेज में लगभग 36 लोगों की मौतें हुई। जिसमें 33 लोग जिला शिमला से संबंधित थे और तीन लोग जिला कुल्लू के रहने वाले थे। इस समेज खड्ड में ग्रीनको कंपनी का प्रोजेक्ट लगा था । साथ ही साथ जिला शिमला के अधिकारी जो वहां पर थे, राहत और बचाव कार्य का जिम्मा शिमला जिला के उन अधिकारियों को सौंपा गया था। महोदय, जब ग्रीनको कंपनी द्वारा जो पैसा दिया गया, जिनकी मौतें हुईं उनको दो-दो लाख रुपये, जिनके घर डैमेज हुए उनको दो लाख रुपए मिले हैं जिनके घर में कम नुकसान था उनको एक-एक लाख मिला है। यह पैसा शिमला जिला के लोगों को तो मिला है परंतु जिला कुल्लू के जिस नेविता देवी, पत्नी प्रेमचंद, वेद राम पुत्र कॉल राम, जिया राम पुत्र बिजाराम, ये सुमेज, डुगिलग और कुछ वाखड़ गांव के रहने वाले थे। इन लोगों को अभी तक यह राशि नहीं मिली है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र से संबंधित मृत्यु हुई हैं और जिनके घर भी डैमेज हुए हैं, आप उपायुक्त कुल्लू से जानकारी लेकर जिस तरीके से शिमला जिला के लोगों को पैसा मिला है, वैसा ही आपदा का पैसा आनी के लोगों को मिले, यह मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद।

Speaker : Honble Member, Hon'ble Chief Minister wants to intervene and reply to your Point of Order.

मुख्य मत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर जी ने जो बात हमारे समक्ष रखी है, वर्ष 2024-25 में प्रदेश में जो आपदा आई जिसमें समेज में बादल फटने के कारण 33 से 34 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, इसमें जिन लोगों का अपने नाम लिया है, उनको पूरा मुआवजा मिलेगा क्योंकि हमारी सरकार ने एक अपनी मुआवजा राशि घोषित की है। भारत सरकार से तो सिर्फ डेढ़ लाख रुपये मिलता है। **लेकिन हमने घर बनाने के लिए 7 लाख रुपया और मृत्यु पर जो हमारा मुआवजा है, वह सब उनको मिलेगा यह आश्वासन मैं आपको इस सदन के माध्यम से देना चाहता हूं।** अगर कंपनी ने भी कोई मुआवजा दिया या नहीं दिया या कोई अन्याय उनके साथ हुआ, हमारी सरकार उसका भी ख्याल रखेगी।

28.03.2025/1205/at/HK /2

अध्यक्ष : अब कुछ और इश्यू भी हैं। माननीय इन्द्र सिंह गांधी जी ने भी कल एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन रूल 46 इन्वोक किया था । क्योंकि वह रूल तो आपने देखा नहीं होगा, उसमें 5 दिन का नोटिस का टाइम चाहिए। तो 5 दिन का समय तो था नहीं इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। Yet I am allowing you to raise this issue under Zero Hour. It is rejected because of short notice but this issue can be raised under Zero Hour.

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि 20 मार्च 2025 को श्री प्रदीप गुलेरिया जो पुलघाट के पास रॉयल लैस किचन नामक ढाबे में संचालक है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उस पर हमले की विस्तृत जांच की गई? मेरा सवाल यह है वे कौन अपराधी थे, कहां के रहने वाले थे, कहां पकड़े गए। पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। जिसमे मोहम्मद अफ़ज़ल की उम्र 25 साल है और आजम की उर्म 19 वर्ष है। वे दोनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के रहने वाले हैं। इससे पहले भी उस वार्ड में इस तरह की घटना हुई और घटना होने के बाद यह साबित हो गया कि वह व्यक्ति मारा गया है। लेकिन बार-बार ये वारदातें क्यों हो रही हैं? जो कानून व्यवस्था बल्ह में चर्मरा गई है, मैं उसमें भी सवाल खड़ा करता हूं । क्योंकि पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जय राम ठाकुर जी ने रिवाल्सर में थाना खोला था। क्योंकि हमारे बल में कर्मचारियों की कमी है इसलिए रिवाल्सर में थाना खोला था। उसको भी डीनोटिफाई कर दिया गया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी वहां थाना खोलने का आश्वासन देंगे ताकि आपराधिक मामलों को रोका जा सके। एक-एक कमरे बाहर से आए हुए 20-20 लोग वहां रहते हैं, उन लोगों के लिए एक ही शौचालय होता है और बहुत ज्यादा गंदगी फैली होती है। नेरचौक शहर में ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे पूर्व भी वे हमारी बेटियों को भगाकर ले गए और भगाने के बाद उनके साथ अत्याचार किए गए।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी …..

28.03.2025/1210/YK/MD/1

श्री इन्द्र सिंह---जारी :

मेरा सरकार से यह आग्रह है कि क्या आप यह आश्वासन देगें कि आप इसे रोक पाएंगे या प्रशासन को किस तरह आदेशित करेंगे जिस तरह से अपराधिक मामले आज बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। जैसे जो आज गोली कांड हुआ है वह कहीं और जगह न हो कई मामले ऐसे हो चुके हैं। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि आप मुझे यह आश्वासन दें धन्यवाद।

Speaker : This is regarding re-opening of a Police Station which was de-notified by the Government in view of the Law and Order situation in a particular place. The Government will consider it. We have taken a cognizance of your issue and we will be taking up the issue with the Government also. In any case, what action have been taken on these issues raised in the Zero Hour that we will be informed to this august House in the next Session. Thank you. मेरे पास जीरो ओवर में एक और विषय आया है,माननीय सदस्य श्री इन्द्र **दत्त** लखनपाल जी, I am allowing you.

श्री इन्द्र दत्त **लखनपाल :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जो सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालय हैं उनमें बहुतायत तौर पर आज के वर्तमान समय में महिला कर्मचारी का बहुत उत्पीड़न होता है। उनके साथ शारिरिक रुप से और मौखिक रुप से दुर्व्यवहार किया जाता है। उनको जब मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता है तो लोक-लाज के चलते वह महिलाएं थाने तक नहीं पहुंच पाती या बता नहीं सकती। कार्यालयों में उनसे इस प्रकार की प्रताड़ना की जाती है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विभगों के अंदर जो कैमरे लगाए जाते हैं उन कैमरों में ऑडियो सिस्टम भी लगाया जाएगा? उन कैमरों में ऑडियो

सिस्टम लगाया जाना चाहिए ताकि जो दुर्घटना हुई है या किसी महिला के साथ बदतमीजी हुई है या किसी पुरुष ने महिला के साथ अभर्द व्यवहार किया है तो उसमें उसकी रिकॉर्डिंग हो। ताकि जब महिला कहीं उच्च अधिकारी से या थाने में जाकर शिकायत करें तो वह रिकॉर्डिंग वहां कमरे में हो और उससे उसको न्याय मिले। क्या सरकार महिलाओं को न्याय दिलवाएगी?

28.03.2025/1210/YK/MD/2

Speaker : This is again a very important issue which have been brought by Hon'ble Member Shri Inder Dutt Lakhanpal and House has taken a cognizance of this issue also. We will be requesting the Government to take a note of it and informed this House regarding this issue. Thank you. Next issue is of Hon'ble Member Shri Neeraj Nayar. He is also wanting to raise his issue under Zero Hour.

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह चीज लाना चाहूंगा कि चंबा शहर के अंदर एच0आर0टी0सी0 द्वारा एक राइट विद प्राईड की चार गाड़ियां चलाई जा रही हैं। लोकल एरिया में यह यह छोटी गाड़ियां चलती और 10 लोग इसमें सवार होते हैं। पिछले कई समय से तीन गाड़ियां खराब पड़ी है और मैंने इसके बारे में लोकल आर0एम0 और जो एम0डी0 रहे हैं रोहन ठाकुर जी जब चंबा आए थे मैंने उनसे भी इस बारे में बात रखी थी। उन्होंने मुझे अशॉर किया था कि इन गाड़ियों को ठीक करवा कर दोबारा चालू किया जाएगा। चंबा के लोकल हमारे बुजुर्ग लोग ही इन गाड़ियों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मैंने फिर से आर0एम0 से बात की तो उन्होंने बोला कि हमने बिल रेज किया है एक गाड़ी को रिपेयर करने के लिए शायद ढाई-लाख रुपया लगेगा और एक गाड़ी को ठीक करने के लिए 3 लाख बता रहे हैं। यह छोटी गाड़ियां हैं। नई गाड़ी खरीदनी हो तो मुझे लगता है कि सात- आठ लाख की आ जाती होगी। मुझे लगता है कि इसका कोई पेज फसा है और मैं चाहूंगा कि इनको अतिशीघ्र अगर नई लेनी है तो नई ली जाए अगर यही ठीक करवा सकते हैं तो इनको ठीक करवाया जाए। ताकि यह जो लोकल

लोगों को दिक्कत है आ रही है उससे निजात मिल सके। एक और चीज में राइट विद प्राईड के साथ एचटीसी के बारे में बताना चाहूंगा कि 80% गाड़ियां चंबा डिपो के अंदर है वह बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। पिछली बार अपने 10 गाड़ियां नई दी थी। तो मैं आपसे यह डिमांड रखना चाहूंगा कि आगे आने वाले वक्त के अंदर हमारी गाड़ियां का फ्लीट है वह काफी घट गया है क्योंकि जब 31 मार्च को अपने 10 गाड़ियां दी थी उसके बाद हमारी 15 गाड़ियां जो है वह ग्राउंड हो गई

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

28-3-2025/1215/केएस/ वाईके/1

श्री नीरज नैय्यर जारी ---

मुझे सबसे ज्यादा मुसीबत शाम के समय होती है क्योंकि जैसे ही पांच बजते हैं और लोगों का गांव जाने का टाइम आता है तो मुझे फोन आना शुरू हो जाता है कि आज यह गाड़ी नहीं चली, आज उस गांव की गाड़ी नहीं चली। उसके बाद जब मैं आर0एम0 को फोन करता हूं तो उनका भी यही जवाब होता है कि गाड़ियां कम हैं। गाड़ी पीछे से आ रही है, वह पहले टाइम पर आएगी फिर अगली सवारियों को उठाकर ले कर जाएगी और चम्बा एस्पिरेशनल जिला है। वहां के लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि टैक्सियां ले कर वे गांव तक जाएं। आए दिन यह बहुत बड़ी समस्या रहती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मुश्किल से हमें निज़ात दिलवाई जाए।

Speaker : Hon'ble Deputy Chief Minister wants to intervene.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पीछे जो हमारे पास गाड़ियां आईं, उनमें से सबसे ज्यादा 10 नई गाड़ियां चम्बा को गईं।

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी, वहां ज़रूरत 50 गाड़ियों की है।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 3 हजार के आसपास गाड़ियों का फ्लीट है। जो गाड़ी चलने लायक नहीं है, उसके मापदंड बने हुए हैं। जो गाड़ी 15 साल पूरा कर लेती है या तो उसको रोड से हटाया जाता है, उसको स्क्रेपिंग के लिए भेजा जाता है या जो

गाड़ी 9 लाख किलोमीटर चल जाती है, उस गाड़ी की कंडिशन देखकर उसको हटाया जाता है। हमने 600 गाड़ियों का ऑर्डर दिया है। 300 गाड़ियों के लगभग हमने इलैक्ट्रिक व्हीकल्ज़ का ऑर्डर दिया है। दो सौ-ढाई सौ डीज़ल बसिज़ का ऑर्डर दिया है। 30 वॉल्वो बसिज़ का ऑर्डर प्लेस किया है और 100 के आसपास हम टेंपो- ट्रेवलर खरीदने जा रहे हैं। परचेज़िग प्रोसैस चल रहा है और जो गाड़ियां माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनको ठोक-पीट कर चला दो, अध्यक्ष महोदय, अब नई गाड़ियां आएंगी, इनको नई गाड़ियां देंगे। ये थोड़ा इंतज़ार कर लें।

अध्यक्ष : राइड विद प्राइड को कर दो, उनकी रिपेयर ही करवा दो।

28-3-2025/1215/केएस/ वाईके/2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले भी उनको रिपेयर करवाया गया था। वे चलने लायक गाड़ियां नहीं हैं। किसी समय हादसे को इन्वाइट करेंगी इसलिए गाड़ियों का इंतज़ार कर लेना चाहिए।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष जी, मैं भी इसी विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : नहीं, आपका अलग से इशू होगा तो देखेंगे। अभी तो केवल दो मिनट का समय बचा है। Hon'ble Member Shri Randhir Sharma, wants to raise an issue under Zero Hour. Please be very specific and speak on relevant issue.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र की एक समस्या है। हमारे बॉर्डर के क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे जिला के हमारे लोकल लोग हैं, उनकी कुछ जमीन पंजाब में आती है। पहले वे हमारे इलाके में रहते थे, यहीं उनके रिश्तेदार भी हैं। अब उन्होंने सड़क के किनारे अपनी कोई दुकान बना ली या मकान बना लिया। पहले उन घरों में मीटर भी लगते थे और पानी-बिजली का कनैक्शन दिया जाता था। उसका राजपत्र में प्रोविज़न भी है परंतु दो साल से ऐसे कुछ लोग जो भाखड़ा बांध विस्थापित हैं, सड़क के किनारे थोड़ा सा पोर्शन उनका पंजाब का आ जाता है। उन्होंने अगर वहां मकान बना लिया तो उनको

बिजली का कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है। एक लाल सिंह, सन ऑफ बंसीलाल जी हैं। वे लगभग दो साल से ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में प्रत्येक अधिकारी तक को लिखा। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखकर दिया है लेकिन अभी तक उनका कनैक्शन नहीं लगा। जबकि दो साल पहले ऐसे जो बिल्कुल साथ लगते क्षेत्र हैं, उनको बिजली-पानी का कनैक्शन दिया जाता था। इसमें प्रोविज़न भी है कि अगर ऐसे घर दूसरे राज्य में हैं और दूसरा राज्य एन0ओ0सी0 दे देता है कि उनको बिजली देने में कोई 5-6 किलोमीटर दूर से कनैक्शन देना पड़ेगा क्योंकि उनकी पीने के पानी की कोई स्कीम उसके नज़दीक नहीं है। उनको दूर से कनैक्शन देना पड़ता है तो वह स्टेट दे सकता है। इस केस में मैंने जिसका नाम लिया, उन्होंने पंजाब स्टेट के बिजली बोर्ड के अधिकारियों से लिखवाकर भी दे दिया है कि उनको पांच किलोमीटर से ज्यादा दूर पड़ता है तो हिमाचल से कनैक्शन दे दिया

28-3-2025/1215/केएस/ वाईके/3

जाए फिर भी बिजली बोर्ड के अधिकारी उन लाल सिंह जी, जो भाखड़ा बांध विस्थापित हैं, उनको कनैक्शन नहीं दे रहे हैं। ऐसे और भी कई केसिज़ हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि मानवीय आधार पर, वे हमारे लोग हैं, भाखड़ा बांध विस्थापित हैं,उनको मीटर लगाने का, बिजली-पानी का कनैक्शन देने का प्रावधान करें। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ज़ीरो आवर में बात उठाई है, **अगर उनकी जगह है, वे विस्थापित हैं और ऐसा प्रोविज़न है तो उनका मीटर लगवा दिया जाएगा।**

अ0व0 द्वारा जारी ---

28.03.2025/1220/AV/AG/1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम कुमार चौधरी जी, आप बोलिए। केवल एक मिनट का समय शेष रहता है, इसलिए स्पेसिफिकली पूछें।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी0एच0सी0 पट्टा में डॉक्टर्ज के दो पद थे लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने मुख्य मंत्री कार्यकाल में उसको सी0एच0सी0 अपग्रेड करने के बाद वहां पर डॉक्टर के एक पद को डीनोटिफाई कर दिया था। अब वहां पर डॉक्टर का एक ही पद है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर डॉक्टर का एक पद और सृजित किया जाए क्योंकि वहां मेरी पहाड़ी क्षेत्र की पंचायतें हैं। धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Minister, if you want to reply, okay and if you don't want to reply, please take a cognizance of this fact. He wants to have another post in an institution which he has referred to and that is a part of the record. We will supply it to you.

28.03.2025/1220/AV/AG/2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

28.03.2025/1220/AV/AG/3

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे तथा माननीय उप-मुख्य मंत्री उसके संदर्भ में उत्तर देंगे। Please be very brief. You can ask clarification thereafter after the reply in any case.

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं की डी0पी0आर0 के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्य मंत्री जी को कांगड़ा विधान सभा की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर्ज0 के बारे में अवगत करवाना चाहता हूं। जबसे मैं इस सदन में आया हूं यानी मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012 से पहले कांगड़ा चुनाव क्षेत्र में पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या थी। मैंने आते ही विभाग के साथ बहुत सारी पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर्ज0 बनाकर अप्रूव करवाईं। मैंने सबसे पहले कांगड़ा शहर की वर्ष 2013-14 में अप्रूव करवाई और उसका अच्छा काम भी हुआ। हमने वर्ष 2017-18 में एक बहुत महत्वपूर्ण डी0पी0आर0 जिसके अंतर्गत तैमला, मैहरना, खडियारा, तियारा, तियारग, समीरपुर, देहरियां, भडियाड़ा, बैदी, सनौरा, ढुगियारी, गगल, सहौड़ा, इच्छी, अब्दुलापुर, जमानाबाद और मिहालु गांव आने थे। इसी तरह से चंगर एरिया में वर्ष 2017-18 में नाबार्ड से 20 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 अप्रूव हुई लेकिन विभाग ने इसको जे0जे0एम0 के तहत किया। इसमें चंगर क्षेत्र के समेला, पलवाणा, तरसूह, सर्कोट, दौलतपुर, कुल्थी, पाई, चौंहदा, धमेड़, हारजलाड़ी, जनयानकर, तकीपुर, चौहाडू, गजरेड़ा, मन्धाल आते हैं। इस डी0पी0आर0 का काम चला हुआ था और उस दौरान श्री राजेश कुमार, जे0ई0 की डैथ भी हुई थी। आपने उस जे0ई0 के घर जाकर यह भी कहा था कि इस मैटर को कैबिनेट में लाकर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी देंगे। इसी तरह से वर्ष 2018-19 में नाबार्ड से 08.50 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाई गई जिसके अंतर्गत गांहलिया, ठाकुरद्वारा, रानीताल, भंगवार, सुखाबाग, रजियाणा, बांध, फरना, रजोर, चिरखड़ गांव आते हैं। इसी तरह से एक डी0पी0आर0 05.60 करोड़ रुपये की बनाई गई जिसके अंतर्गत अनसोली, भंडवार, मटौर, पुराना मटौर, नन्दैहड़,

कोटकवाला, जमानाबाद, मिहालु, अब्दुलापुर गांव आते हैं जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है।

इसी तरह से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ रुपये की एक सिवरेज की योजना बनाई गई। इस योजना के अंतर्गत घुड़कड़ी, वीरता, कछियारी, जोगीपुर, नंटैहड़ के अतिरिक्त इसमें हमारी शहर वाली सिवरेज की योजना के तहत छूटे हुए गांव भी आते हैं। मैं वर्ष 2020-21 में अप्रूव की गई कोहाला गांव की 01.46 करोड़ रुपये की योजना को भी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। इसके अलावा खोली की वर्ष 2020-21 में अप्रूव हुई थी। हमारी दो डी0पी0आरर्ज0 पेंडिंग हैं। मैं इन सारी डी0पी0आर्ज0 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि इनके बारे में काम किया जाए और मेरे विधान सभा क्षेत्र का कोई भी गांव पेयजल से वंचित न रहे। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही 19.32 करोड़ रुपये की एक डी0पी0आर0 विभाग ने दिनांक 15 मार्च, 2023 को शायद प्लानिंग को भेजी है।

टी सी द्वारा जारी

28.03.2028/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
श्री पवन कुमार काजल.... जारी

इस योजना अंतर्गत आने वाले गांवों में बौहड़क्वालू, राजल, नदरूल खरटी, सलोल तरखानकर, डाकापलेरा टलाडाका शामिल थे, जो चेंजर क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह, दूसरी डी0पी0आर0 10.66 करोड़ रुपये की थी, जिसे दिनांक 20.09.2023 को डब्ल्यू0एस0एस0 के तहत घुड़कड़ी, वीरता व अन्य गांव के लिए तैयार किया गया था। इस योजना में वीरता, कच्छियारी, जोगीपुर, नटेहड़ और शहर आसपास के अन्य गांव शामिल किए गए थे। मैं वर्ष 2012 में चुनकर इस माननीय सदन में आया और सबसे पहले मैंने पानी की डी0पी0आर्ज0 तैयार करवाई । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस परियोजना का काम 60 करोड़ रुपये की

लागत से शुरू किया गया। पहले नियम यह था कि विभाग स्वयं पाइपों की खरीद करता था, लेकिन बाद में यह व्यवस्था बदल गई और अब पाइपों की खरीद और फिक्सिंग का कार्य ठेकेदारों को ही सौंपा जाता है। इसी तहत से टैंक भी ठेकेदारों द्वारा बनाए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे बड़े उत्साह और मेहनत के साथ तैयार किया गया था। विभाग ने भी इसे सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो पता चला कि इस योजना में जल स्रोत को चैक नहीं किया गया और राइजिंग मेन पाइपलाइन को बिछा दिया गया, लेकिन जब पानी की उपलब्धता की जांच की गई, तो पता चला कि पानी को किसानों की कूहल से उठाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली विधान सभा में भी नियम-62 के अन्तर्गत इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और जल स्रोत की उपलब्धता को लेकर परकोलेशन वैल तैयार किया। लेकिन चूंकि यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैं इसे एक बार फिर से उठाना चाहता हूं। एक दिन सुबह जब मैं सैर करने जा रहा था तो देखा कि मेरे घर के पास ही बड़ा टैंक बना हुआ था, जिसकी जल संग्रहण क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस टैंक के लिए सुमीरपुर से पानी आएगा जो सावड़ा और रीछी के लिए जलापूर्ति करेगा। जब मैंने वहां काम कर रहे जम्मू-कश्मीर के श्रमिकों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे 4 इंच की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि यह पाइपलाइन नाले में क्यों डाली जा रही है क्योंकि वहां से पानी आना संभव नहीं है।

28.03.2028/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

उन्होंने जवाब दिया कि ठेकेदार ने जल्दी-जल्दी पाइपें बिछाने का आदेश दिया है ताकि इसका बिल बनाया जाए। जब मैंने अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने भी इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बाद में जब बरसात आई, तो वही हुआ जिसका अंदेशा था यानी पाइपलाइन पूरी तरह नाले में बह गई। अब तक इस परियोजना का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन जनता को अभी भी पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। यदि 18 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी तो इसका क्या लाभ? पहले जब हम 50 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाते

थे, तब भी जैसे-तैसे पानी की व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन अब करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद हम वहीं के वहीं खड़े हैं।

इसी तरह, चंगर क्षेत्र में भी यही स्थिति रही। जो हाल नेरला-तैमला स्कीम का हुआ था वहीं हाल तक्कीपुर, दौलतपुर, जलाड़ी वाली स्कीम का हुआ। वहां भी पाइपलाइन डाली गई, गांव के लोग खुश थे, अखबारों में खबरें आईं कि जल्द ही 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। लेकिन जब योजना पूरी हुई तो उससे आज तक पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। टैंक तो बन गए, लेकिन जल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई। इसके बाद मैंने एक और योजना के तहत खोली में 2.43 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार करवाई थी, जिसका उद्घाटन श्री जयराम ठाकुर जी ने किया था। इस योजना पर काम चल रहा था, लेकिन वहां के एक पूर्व प्रधान के पति ने आर0टी0आई0 के माध्यम से दो वर्षों की जानकारी मांगी।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

28-03-2025/1230/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री पवन कुमार काजल ----जारी

जब उसने आर0टी0आई0 के तहत दो वर्षों की सूचना ली और मेरे पास आ गया। मुझे भी इस बात का पता नहीं था कि वहां पर क्या गोलमाल हो रहा है? मैं हैरान और परेशान हो गया कि जनता को कैसे पर्याप्त पानी मिलेगा? हम शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में देने की बात कर रहे हैं। मैंने आर0टी0आई0 के तहत प्राप्त सूचना को देखा तो उसमें बड़े बुरे हाल हैं। उसमें कोहाला क्षेत्र की 1.43 करोड़ रुपये की स्कीम अप्रूवड हुई है और ट्यूबवैल के टेंडर हुए लेकिन ट्यूबवैल लगने से पहले ही 25 लाख रुपया खर्च हो गया। उसको वर्ष 2012 से पहले डिफंक्ट कर दिया गया और उसमें ही 25 लाख रुपये खर्च कर दिए गए। मैं इस माननीय सदन में यह सच्चाई बता रहा हूं। आर0टी0आई0 के तहत जब डिटेल मांगी गई तो वाई0एम0 सेल सप्लाई ऑर्डर 1,36,46,300 रुपये, एप्पल बी0 सिस्टम सप्लाई ऑर्डर 1,10,4,750 रुपये, अश्विनी कुमार सप्लाई ऑर्डर 35,64,761 रुपये, मंजीत सिंह सप्लाई

ऑर्डर 41,42,365 रुपये, प्रवीण कुमार सप्लाई ऑर्डर 8,63,500 रुपये, एक क्रेट वर्क 71,23,767 रुपये, क्रेट वर्क 59,6,036 रुपये, क्रेट वर्क 9,25,673 रुपये, क्रेट वर्क 65,82,302 रुपये, बीना देवी धर्मपत्नी अश्विनी कुमार 68,49,410 रुपये जो आशा वर्कर है, सन्नी कुमार 54,018 रुपये तो कुल मिला कर 6,66,8,766 रुपये खर्च हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों को पानी कहां मिलेगा? यह ब्यौरा आर0टी0आई0 के माध्यम से मिला है। अध्यक्ष महोदय, शाहपुर डिवीजन में दो कॉन्स्टीच्यूएंसीस एक शाहपुर और दूसरी कांगड़ा आती है। मुझे अपनी कॉन्स्टीच्यूएंसी से मतलब है। मैंने यह पूरी रिपोर्ट उप-मुख्य मंत्री जी को भी दी है। मैंने फिर कांगड़ा की रिपोर्ट मांगी तो मुझे 6.66 करोड़ रुपये में से 2.75 करोड़ रुपये दिए गए। मैंने इसकी और जांच पड़ताल की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमने हैंडपंप लगा कर घर-घर में पानी दिया है और ये करोड़ों रुपये खर्च करके भी पानी नहीं मिल रहा है। कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में बहुत हैंडपंप्स लगे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में 18 गांव हैं, अगर आप एक-एक गांव को 1 करोड़ रुपये देते और हैंडपंप्स में बढ़िया सब-मर्सिबल पंप लगा कर टैंक बनाते तो पानी की 24 घंटे की सुविधा होनी थी। अगर इस गड़बड़ की बात की जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि आशावर्कर के नाम पर भी ठेके लिए गए हैं और ऐसे अधिकारी एक जगह ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई दफ्तरों में ऐसे अधिकारी हैं जो दो से चार करने लगे हुए

28-03-2025/1230/एन0एस0-डी0सी0/2

हैं। इनकी इन्कवायरी की जाए। उप-मुख्य मंत्री जी, मैंने आपको इसके बारे में कहा है। मैं स्पष्टवादी हूं। यह बात ठीक है कि सरकार आपकी है लेकिन आपको इसकी इन्कवायरी करनी पड़ेगी और जो जिम्मेवार होगा उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी अन्यथा कोर्ट में जाना पड़ेगा। लगभग 100 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाई गई लेकिन कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनता को पीने हेतु शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और जनता इंतजार कर रही है। अधिकारी दो से चार करने में लगे हुए हैं तथा विभाग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विभाग में सभी अधिकारी ऐसे हैं बल्कि कई अधिकारी बहुत अच्छे हैं। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो कहा है तो मेरा

कोई दुश्मन नहीं है। मेरी देवतुल्य जनता ने मुझे तीन बार जीता कर यहां भेजा है और मैं किसी का सगा नहीं बल्कि सिस्टम का सगा हूं। इस बात को याद रखना। यह जो डी0पी0आर0 बनाई गई है और जिसने भी गड़बड़ की है तो उसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

उप-मुख्य मंत्री ...आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.03.2025/1235/RKS/DC-1

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल ने जो नियम-62 के तहत मसला उठाया है उसके दो-तीन भाग हैं। इस मसले की जड़ यह है कि शाहपुर और कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र से दो विधायक हैं लेकिन इन क्षेत्रों में एक ही एक्सिअन कार्यरत है। **मैं इस सदन में यह सहर्ष घोषणा करता हूं कि श्री पवन कुमार काजल जी के निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अलग एक्सिअन दे दिया जाएगा। यहां पर अतिरिक्त मुख्य सचिव उपस्थित हैं, आप इनका डिवीजन नोटिफाई कर दें ताकि यह रोज़ का संघर्ष खत्म हो जाए।** इनका दूसरा मसला इनकी विधान सभा क्षेत्र की कुछ योजनाओं से संबंधित है। मैं भी समझता हूं कि कुछ योजनाएं इनके दिल के करीब हैं। उठाऊ पेयजल योजना घुरकड़ी का सुधार कार्य10.66 करोड़ रुपये की लागत से होना है। दूसरी योजना बुड़कबालू और इसके साथ लगती पंचायतों की योजना है जिसमें 19 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी नाबार्ड की किटी में पैसा उपलब्ध है लेकिन जो नाबार्ड की किटी राज्य को मिलती है वह समाप्त हो गई है। **इस बार यह किटी नहीं आई है लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपकी लिमिट को देखते हुए उक्त दोनों योजनाओं की फंडिंग करवाई जाए।** आपके चुनाव क्षेत्र में 22 पेयजल योजनाएं हैं जिनमें से एक फिज़िबल नहीं है और 21 की डी0पी0आर0 बन चुकी है। इनमें से 9 योजनाएं नाबार्ड की हैं जिनमें काम चला हुआ है। **इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 48 करोड़ रुपये में से 30 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है इसलिए हम इन योजनाओं का शेष कार्य भी पूर्ण करवा देंगे।** माननीय विधायक जी ने टेंडर आबंटन का

मसला भी उठाया है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पानी की पाइपों की सेंट्रलाइज परचेज की जाती है। आप जिन पार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं उनमें पहले क्रेट वर्क, टूल किट्स, वैल्डिंग वर्क, पाइप रिपेयर इत्यादि का कार्य सेंट्रलाइज तरीके से होता था लेकिन एक्सिअन को फैसिलिटेट करने व काम जल्द निपटाने के लिए अब एक्सिअल अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से कुछ एक्सिअन ने अराजकता फैलाई है, वह बिल्कुल सही नहीं है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि इस एक्सिअन ने भी अराजकता फैलाई है। इस एक्सिअन ने 1332 टेंडर जारी किए हैं जिनमें से 10 ऑनलाइन और 1322 ऑफ-लाइन किए हैं। यह एक्सिअन जहां से ट्रांसफर होकर आता है वहां से ठेकेदार भी अपने साथ लेकर आता है। जिन ठेकेदारों ने इसके समय में नूरपुर में काम किया था वही ठेकेदार कांगड़ा में भी काम कर रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे। श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1240/बी.एस./एच. के./-1

उप-मुख्य मंत्री जारी...

क्योंकि यह मसला बहुत बड़ा है, 1332 टेंडर्ज में से 1322 टेंडर ऑफ लाइन लगा देना यह किसी भी तरह से सही नहीं है। **इसे हम और हमारे चीफ इंजीनियर, धर्मशाला जोन के इसे इंक्वायर करके स्थिति बताएंगे। लेकिन मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि हम पूरे प्रदेश में एक्सीयन से ये पावर स्नैच कर रहे हैं और स्टेट लैवल पर सेंट्रलाइज्ड परचेज होगी, धन्यवाद।**

28.03.2025/1240/बी.एस./एच. के./-2

विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधोयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-38 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28, 29,30,31,32,33,34,35, 36,37 और 38 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

28.03.2025/1240/बी.एस./एच. के./-3

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1)पारित हुआ।"

अब मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।यदि कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं तथा मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी।

28.03.2025/1240/बी.एस./एच. के./-4

श्री त्रिलोक जम्वालः अध्यक्ष महोदय, यह जो वर्तमान प्रदेश सरकार संगठित अपराध निवारण और नियंत्रण एक्ट वर्ष 2025 ले करके आई है, मैं कह सकता हूं यह प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इसके माध्यम से जो ऑर्गनाइज्ड क्राइम हैं शायद

उसे कंट्रोल करने का इस एक्ट में कुछ प्रोविजन प्रदेश सरकार ने प्रपोज किए हैं। अगर हम इस एक्ट के CHAPTER-II OF PUNISHMENTS वाले पार्ट को देखें, उसमें भी Section 3 (a) possessing, purchasing, transporting or supplying drugs having potential of addiction and prohibited under the law; और इसके CHAPTER-II OF PUNISHMENTS के सैक्शन-3 में (a) से लेकर (i) तक पार्ट हैं। इसमें मेन Thrust Organized Crimes उसमें भी drugs, environment, deforestation, mining का उल्लेख किया है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.03.2025/1245/DT/HK-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी....

अध्यक्ष महोदय, जब हम सैक्शन-4 पर जाते हैं, जैसा कि कल मैंने मिडिया में भी देखा था कि हम डैथ पेनल्टी का प्रावधान इसमें करने जा रहे हैं। Section 4 (1) Whoever commits organised crime shall, if such offence has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees. Now the second part of this Act '(2) Save as otherwise provided, whoever commits offence under clause (a) of Section-3, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than two years but may extend up to fourteen years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than twenty thousand rupees but may extend to ten lakh rupees.' मैं यह कह रहा हूं कि यह एक बहुत अच्छी पहल है लेकिन इसमें और बारीकी से जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारे पास भारतीय दंड संहिता नहीं थी और यह संशोधन नहीं हुआ था तब तक विशेषकर 2023 से पहले, यह संशोधन बी0एन0एस0 के रूप में नहीं आया था। तब हमारे पास आई0पी0सी0 था तो स्थिति कुछ अलग थी। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरीके से एक्ट बनाए गए थे जैसे महाराष्ट्र ने मकोका बनाया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में

सेम बनाया था। वर्ष 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया था, और कर्नाटक ने वर्ष 2000 में कंट्रोल ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट बनाया था। तब इस एक्ट की एक अलग स्थिति थी। लेकिन जब भारतीय दंड संहिता आई और जब इसका सैक्शन 111 और 112 पढ़ेंगे तो सैक्शन-111 में इससे वास्ट और गहराई से एक-एक चीज को इलैबोरेट किया है। अभी जो एक साल पहले इसमें आया उसके लिए मैं इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। Hon'ble Speaker, Sir, Section-111. Organised crime.-(1) Any continuing unlawful activity including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offence, cyber-crimes, trafficking of persons, drugs, weapons or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom, by any person or a group of persons acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence, threat of violence,

28.03.2025/1245/DT/HK-2

intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit, shall constitute organised crime.' My only purpose is that they have elaborated each and everything in detail. Everything is crystal clear. Every part of this new Act which is proposed by the Government is exclusively included in this Section-111. My only submission is, as far as the second part of Section-111. (2) Whoever commits organised crime shall, - (a) if such offence has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees.' यह इसमें आलरेडी प्रोवाइड है। जो प्रदेश सरकार एक्ट लेकर आई है उसका पहला हिस्सा स्वचालित रूप से लागू हो जाता है। क्योंकि इसी एक्ट के अंतिम खंड में लिखा है कि जो भी 'Section-16. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force regulating any of the matters dealt with in this Act except specifically provided in this Act.' Meaning thereby भारतीय न्याय संहिता में कोई भी चीज पहले से मौजूद है तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। मेरी केवल

सिफारिश है कि इस एक्ट को बहुत जल्दी-जल्दी ड्राफ्ट किया गया है जो कि एक अच्छा कदम है लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। जिन पहलुओं को कवर नहीं किया गया है उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है। मेरा यह सुझाव है कि इस एक्ट को एक सलैक्ट समिति के पास भेजा जाए ताकि इसमें ऐसा कोई स्कोप न बचे। जो आर्गेनाइज काम करते हैं, जो बी0एन0एस0 में कवर नहीं है उसको हम इसमें कवर करें। कोई प्रावधान है, तो यह स्वतः लागू हो जाएगा जब डैथ पेनल्टी का प्रावधान उसमें शामिल होगा। अगर बी0एन0एस0 में कवर है तो ओटोमेटिकल इसमें डैथ पेनल्टी का प्रोविजन है जिसमें अपने आप बी0एन0एस0 अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि यह वर्ष 2023 में आया है।

श्रीमती पी. बी. द्वारा ...जारी

28.03.2025/1250/YK/PB/-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी..

मेरी इस हाऊस से केवल एक सबमिशन रहेगी कि इसको और अच्छा बनाने के लिए और गहराई में जाने के लिए इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की जरूरत है, ऐसा मेरा विचार है ताकि कोई भी अपराधी जो ऑगेनाइज क्राइम करे वह छूट न पाए।

अध्यक्षः अब मुख्य मत्री जी इसका उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भारतीय न्याय संहिता सैक्शन-111 के बारे में बताया है, यह ठीक है कि इन्होंने डिफाइन किया है लेकिन आपने इस एक्ट में पढ़ा होगा कि हमने इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन वाइड की है। इसमें माइनिंग है और अन्य चीजें भी हैं और यह आज की जरूरत है। अगर इसमें कभी अन्य संशोधन करना होगा तो इसे विधान सभा में किया जा सकता है। परंतु अभी हम इसे लागू तो करें। जिस प्रकार की घटना जिला बिलासपुर में हुई है और दोषा-रोपण एक दूसरे पर हो रहा है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के पास अभी कोई इतना सशक्त हथियार नहीं है। अगर इस संबंध में हमारा अपने स्टेट का एक्ट आता है तो उसमें आवश्यकतानुसार यह प्रोविजन किया जा सकता है। पहले हम इसका थोड़ा सा इंप्लिमेंटेशन करके देखेंगे उसके बाद जो आपने

सुझाव दिए हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है। यदि कहीं पर इंप्लिमेंटेशन में कमी आएगी तो इस पर सरकार अवश्य संशोधन लाएगी। इस एक्ट की आज हिमाचल प्रदेश की जरूरत है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस एक्ट को पास किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-16 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

28.03.2025/1250/YK/PB/-2

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 और 16 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारणः

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) पारित हुआ।"

28.03.2025/1250/YK/PB/-3

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : एक और सप्लीमैंटरी एजेंडा आया है। am allowing that supplementary agenda to be taken up by this august House.

अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) पुरः स्थापित हुआ।

28.03.2025/1250/YK/PB/-4

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

28.03.2025/1255/Y.K/ A.P/1

अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

28.03.2025/1255/Y.K/ A.P/2

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करेंगे।

माननीय मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

अब इन पर विचार-विमर्श और पारण होगा। The House adjourned for lunch break and we will reassemble at 2 O'clock.

28.03.2025/1415/at/AG/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2:15 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

<u>विचार :</u>

अध्यक्षः अब माननीय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः इसमें सदस्य बोल सकते हैं एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड -2 से 30 तक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 व 30 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

28.03.2025/1415/at/AG/2

<u>पारण :</u>

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकि अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि कि हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) पारित हुआ।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी …..

28.03.2025/1420/AG/MD/1

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, आप बोलिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी,भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) के संदर्भ में संशोधन लेकर आए हैं। दिनांक 13 फरवरी को सरकार इसका आर्डिनेस भी ला चुकी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक विषय तो मैं यह उठाना चाहूंगा कि जब विधान सभा सत्र आने वाला था और 10 मार्च से विधान सभा सत्र शुरू हो रहा था तो मात्र एक महीना पहले ऑर्डिनेंस लाने की क्या आवश्यकता थी। इतनी जल्दबाजी क्यों थी और ऐसे ऑर्डिनेंस लाकर क्या कहीं हम विधान सभा की अभमानना कर रहे हैं। जो सरकार चाहती है वह कर लेती है फिर संशोधन करने के लिए सिर्फ यहां पर बिल पास करने के लिए लेकर आती है और अमेंडमेंट लेकर आती है जो सही नहीं है। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि ठीक है भविष्य में ज्यादा समय विधानसभा सत्र हो और कोई ऐसा अति आवश्यक हो तो ऑर्डिनेंस लाए। परंतु एक महीना बचा है सत्र के लिए और इसमें इतनी कोई एमरजेंसी भी नजर नहीं आती। फिर भी ऑर्डनेंस लाए और क्यों लाए यह हमारी समझ से बाहर है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, यह स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने का पहले भी अमेंडमेंट सरकारी कार्यकाल में लेकर आए और उस समय भी इन्होंने स्टैंप ड्यूटी में बढ़ोतरी की तथा 50-80 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को चार प्रतिशत, 50 लाख की संपत्ति खरीदने पर पुरुषों को 6% और इससे अधिक सभी को 8% ऐसी स्टैंप ड्यूटी का प्रावधान किया हुआ था। ऐसे मामले जहां धारा 118 की परमिशन सरकार से ली जाती है ऐसे मामलों में महिला-पुरुष का जो आधार था उसको समाप्त करते हुए सबको एक मुश्त 12% की दर पर स्टैंप ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया। मैं समझता हूं यह बहुत ज्यादा है। यह ठीक है कि आप

28.03.2025/1420/AG/MD/2

उनका स्पेशल केस ट्रीट कर रहे हैं और धारा 118 की आप परमिशन दे रहे हैं। परंतु कहां महिलाओं को चार प्रतिशत और कहां बढ़ाकर आप 12% कर रहे हैं। कहां 6 प्रतिशत और बढ़ाकर आप 12% कर रहे हैं। इसलिए यह बढ़ोतरी तर्क संगत नहीं है। एक तो यह कम होनी चाहिए। शायद यह सरकार के मन में हो कि प्रदेश में बाहर के लोग ही धारा 118 में परमिशन लेते हैं। क्योंकि ऐसा मीडिया में भी छपा था। जबकि सच्चाई तो यह है कि इसमें

बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, धार्मिक संस्थाएं होती हैं। चैरिटेबल काम करने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी धारा 118 के अंतर्गत परमिशन लेकर ऐसी संपत्ति खरीदती है। उनसे भी आप 12 प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी लेंगे यह बहुत ज्यादा है। दूसरा कई गरीब लोग प्रदेश में ऐसे भी हैं जैसे माननीय सदस्य, श्री संजय रत्न जी परसों विषय उठा रहे थे कि उनके विधान सभा क्षेत्र में ऐसे लोग है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है तो ऐसे सबके विधान सभा क्षेत्र में हो सकता है लोग हो जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। हिमाचल में रह रहे हैं आज वह खरीदने योग्य हो वह धारा 118 की परमिशन मांगे तो हिमाचल के उस गरीब आदमी को भी 12% स्टैंप ड्यूटी देने पड़ेगी। इसलिए सरकार ने जो यह एक मुश्त निर्णय सब पर एक जो धारा 118 की परमिशन लेगा चाहे वह बाहर का है, चाहे वह प्रदेश का है, चाहे वह गरीब है, चाहे वह अमीर है, चाहे कोई ट्रस्ट है, चाहे चैरिटेबल है, चाहे आध्यात्मिक है सबसे इतनी स्टैंप ड्यूटी लेनी यह तर्क संगत नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

28-3-2025/1425/केएस/डीसी/1

श्री रणधीर शर्मा जारी---

और इसको अगर आप बढ़ाना भी चाहते हैं, कहीं न कहीं ऐसे लोग जो प्रदेश में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल काम करना चाहते हैं उनको तो आप बढ़ाइए परंतु जो चैरिटेबल काम करना चाहते हैं या अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए गरीब आदमी कोई काम करता है, उसके लिए जरूर छूट दी जाए। अध्यक्ष जी, यह विषय मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सम्माननीय अध्यक्ष जी, जो अमेंडमेंट भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) है, उसमें जैसा श्री रणधीर शर्मा जी

ने कहा, ऐसे हमारे कई लोग हैं, हमारी कई सोसायटीज़ हैं जो अपने आप में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वे सभी लोग अगर हिमाचल के एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अपना काम करना चाहते हैं और एग्रीकल्चरिस्ट होने के बाद अगर वे कोई अपनी सोसायटी बनाते हैं तब भी उनको 12 परसेंट देना पड़ेगा। अभी केंद्र सरकार जितनी भी हमारी कोऑप्रेटिव सोसायटीज़ हैं, एफ0पी0ओज़ हैं, एफ0पी0ओज़ को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हमारे हिमाचल के बच्चे बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए इकट्ठा हो कर अपनी एक सोसायटी बनाते हैं और उसके माध्यम से अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो उनसे भी अगर हम 12 परसेंट चार्ज करेंगे तो मुझे लगता है कि हिमाचल के हमारे बेरोज़गार इस स्टार्ट-अप में कोऑप्रेटिव की तरफ शायद जा ही नहीं पाएंगे। मेरा यह मानना है कि इस बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरे, हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है लेकिन वे सदियों से हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। अगर वे अपना कांम-धंधा शुरू करना चाहते हैं, कोई फर्म, सोसायटी या कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हैं तो उनको भी 12 परसेंट लगेगा। मुझे लगता है कि हमें इसको थोड़ा सेग्रीगेट करना चाहिए। जो हमारी कमर्शियल युनिट्स हैं, जो प्रोफिटेबल हैं, उनको अलग करना चाहिए और इंडस्ट्री को अलग करना चाहिए। इसी तरह से जो हिमाचल के लोग हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको अलग श्रेणी में डालना चाहिए। क्योंकि हम महिलाओं से 50 लाख रुपये तक 4 परसेंट ले रहे हैं और वे ही 4 महिलाएं अगर इकट्ठा हो कर फर्म या सोसायटी के रूप में आएंगी तो उनसे हम 12 परसेंट चार्ज करेंगे जो कि बहुत ही हायर साइड से है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर विचार करना चाहिए। यही मेरी सजैशन थी। ट्रस्ट और चैरिटेबल के ऊपर माननीय रणधीर शर्मा जी ने ठीक कहा कि जहां हम उनको लीज़ पर नोमिनल पैसों में जमीन देते हैं, वहां अगर हम उनसे 12 परसेंट स्टाम्प ड्यूटी लेंगे तो फिर

28-3-2025/1425/केएस/डीसी/2

कैसे होगा? ये दोनों चीजें सैल्फ कांट्रडिक्ट्री हैं। न हम रोज़गार को बढ़ावा दे पाएंगे, न हमारे बच्चे अपना स्वरोज़गार जनरेट कर पाएंगे। कहीं न कहीं 12 परसेंट उसमें हर्डल बनेगा, यही इस हाउस से मेरी सबमिशन है।

श्री हरीश जनारथा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर भी कुछेक लोग ऐसे हैं जैसे पहले पूरा प्रदेश महापंजाब था परंतु वे पार्टिशन से पहले या बाद में यहां पर आ कर सैटल हुए हैं। जब

हमारा प्रदेश बना वे उससे पहले से ही यहां पर सैटल हुए हैं। उनको भी धारा-118 की ज़रूरत पड़ रही है। अगर उसमें भी कोई रिलैक्सेशन हो जाती है, I just wanted to put this point.

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : अध्यक्ष महोदय, जो आज रेवन्यू से सम्बन्धित बात चली है, कई जगह हमारे यहां यह समस्या आती है कि हमारे यहां लोगों के ऐसे बहुत सारे घर बने हैं जहां उनकी जमीन का कुछ हिस्सा कई बार गवर्नमैंट लैंड में चला जाता है। तो उसके बाद फिर उनको कोर्ट के माध्यम से घर तोड़ने के ऑर्डर हो जाते हैं। अगर उनके लिए कोई ऐसी कानून व्यवस्था हो जाए कि जमीन के बदले जमीन या उनको कोई कॉस्ट डाल दी जाए। जो उनके 20-25 साल से पहले के बने हुए घर हैं, उनके बारे में भी विचार किया जाए।

Speaker: This is not the part of this Bill. Now Sh. Kewal Singh Pathania will keep his view.

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो एक्ट ले कर आए हैं, जहां तक मैंने डिटेल में देखा है, वैसे तो वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से चामुण्डा, चिंतपुरनी या माता ब्रजेश्वरी के अंदर जहां सदुपयोग हो रहा था वहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, सरकार चाहे कोई भी आए, वे धर्मशालाओं को होटलों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे यहां कुनाल पत्थरी में भी बाहर से लोग आए। अब सोसायटी में कुछ लोग जो प्रभावशाली थे, उन्होंन 118 के अंतर्गत किसी न किसी माध्यम से अनुमति ले ली। मैं चाहता हूं कि एक तो जो स्टाम्प ड्यूटी इन्होंने बढ़ाई है, ठीक है कि जिसमें कैटेगरी, खासकर जो बिल्कुल सामाजिक काम करना चाहते हैं परंतु वे भी हिमाचली हों, बाहर के न हों। ऐसा न हो कि जिस तरीके का भंडारा बॉक्स अब सभी जगह बना हुआ है और अब वह नाम की धर्मशाला है और उसमें 60-60, 80-80 कमरे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.03.2025/1430/AV/DC/1

श्री केवल सिंह पठानिया-------- जारी

इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहां पर जिस प्रकार से माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी ने मामला उठाया, उसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी

श्री अश्विनी नरुला और उनकी धर्मपत्नी दोनों अध्यापक थे। वे वहां पार्टिशन के समय पाकिस्तान से आए थे। रिटायर होने के बाद अब श्री अश्विनी नरुला जी की डैथ भी हो चुकी है। उस वक्त उनको गुप्त गंगा के पास कम-से-कम 15 कनाल जमीन अलॉट हुई थी। मगर उस समय जमीन या पैसे लेने के लिए ऑप्शन रखी गई थी। जब वे माइग्रेट होकर आए थे तो उन्होंने 7700 रुपये लिए थे। उन्होंने वहां पर जमीन लेकर घर बनाया है। वहां उनका परिवार है और आगे पड़पौत्र भी हो गए। मगर आज दिन तक वे डी0सी0 ऑफिस, एस0डी0एम0 ऑफिस, डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस, राजस्व विभाग यानी पिछले 25-30 वर्षों से वह केस लगातार घूम रहा है। वे दोनों नियमित अध्यापक थे। वे दोनों वहां राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाते थे। उन्होंने उस वक्त पैसे ले लिए और वह केस सचिव (राजस्व) से लेकर के नीचे पटवारी तक घूम रहा है। उस केस के बारे में अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा केवल एक ही केस नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं। आप धर्मशाला के बारे में जरूर इंटरवेंशन करें। अगर वे ऑप्शन देना चाहें क्योंकि वे यूज़ तो कर रहे हैं। उनके पास पोल्यूशन का एन0ओ0सी0 नहीं है, किसी का भी एन0ओ0सी0 नहीं है लेकिन नाम की धर्मशालाएं हैं। उनमें 60-60 कमरे हैं, तो उनको भी किसी-न-किसी तरीके से नियमित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

28.03.2025/1430/AV/DC/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, आप बोलिए।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कैंटोनमैंट एरिया में रहने वाले लोगों को भी धारा-118 की परमिशन लेनी पड़ती है। मैं श्री हरीश जनारथा जी द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं। इन्होंने भी इसके बारे में बात की है और मेरे कैंटोनमैंट एरिया में पुश्त-दर-पुश्त रहने वाले लोगों को भी धारा-118 की परमिशन लेनी पड़ती है। मेरा अनुरोध है कि इस एक्ट के अंतर्गत उन्हें रिलैक्सेशन दी जाए। उन्हें भी हिमाचली होने का पूरा-पूरा हक़ मिले। उन्हें अभी केवल हिमाचली होने का प्रमाणपत्र मिलता है और

इसके अलावा उनको अभी न तो राशन कार्ड मिलता है तथा न ही हिमाचली होने के नाते उन्हें पूरे राइट्स मिलते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो एक्ट-1972 से पहले के बसे हुए लोग हैं उन्हें सेकिण्ड लाइन में कंसीडर किया जाए, अगर वहां पर पुश्त-दर-पुश्त बसे हुए लोग यह प्रूव कर लेते हैं। माननीय वन मंत्री जी, अभी आपने जो फॉरैस्ट राइट का एक्ट लाया है, उसके तहत आपने वनों में बसे हुए लोगों को बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी है। इसी तरह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कैंटोनमैंट एरिया में रहने वाले लोगों को भी पूरा हक़ मिले। मैं यही बात कहना चाहता था। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अब आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा और श्री त्रिलोक जम्वाल जी द्वारा शो किया गया कंसर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह एक बहुत बड़ी इन्क्रीज है। हम इस बात से सहमत है कि प्रदेश में राजस्व जनरेट करने के रास्ते तलाशने होंगे। मगर उसके बावजूद हमें इसके अंतर्गत कुछ व्यावहारिक चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। इसमें जो 12 प्रतिशत की इन्क्रीज रखी गई है जिनको धारा-118 की परमिशन लेनी पड़ेगी, यह उनके लिए एक बहुत बड़ा दायरा है जोकि इसकी परिधि में आएगा। हमारी कोऑप्रेटिव सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट्स के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में एफ0पी0ओज0 को प्रमोट करने के लिए जो एक बड़ा प्लान बनाया है, उन सारी चीजों से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। आपने जो कैंटोनमैंट एरिया की एडिशन की है, मुझे लगता है कि उनको भी धारा-118 के तहत परमिशन लेनी पड़ेगी।

टी सी द्वारा जारी

28.03.2025/1435/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री जय राम ठाकुर .... जारी

ऐसी स्थिति में मुझे प्रतीत होता है कि इस संशोधन के कारण बहुत बड़ा विस्तार होगा, जिससे कई क्षेत्र इस सैक्शन के दायरे में आ जाएंगे। इस विस्तार से प्रभावित होने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार के बजट में एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है कि एफ0पी0ओज0 (फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज) को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तीन करोड़ "लखपति दीदी" बनाने का लक्ष्य भी रखा है। यह लक्ष्य सरकारी नौकरियों के माध्यम से नहीं, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए ही पूरा किया जाएगा, ताकि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा सके। लेकिन जब 12 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना कठिन हो जाएगा क्योंकि सरकार 12 प्रतिशत की दर से अनुदान देने की स्थिति में नहीं होगी। इसलिए, मुझे लगता है कि इस पूरे विषय पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार को लग रहा होगा कि इसके माध्यम से रेवेन्यू जेनरेट होगा, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। यदि जल्दबाजी में इसे लागू किया गया तो कई क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएंगे और उनकी गतिविधियां प्रभावित होंगी। चाहे वह चैरिटेबल ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एफ0पी0ओज0 या कोई अन्य संगठन हो, सभी इस वृद्धि से प्रभावित होंगे। विशेष रूप से, यदि हम कंट्रोलमेंट एरिया की बात करें तो वहां पहले से ही कई प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। हिमाचली प्रमाणपत्र होने के बावजूद यदि किसी बाहर के व्यक्ति को यहां भूमि खरीदनी हो तो उसको भी धारा-118 के अंतर्गत अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसे में यदि इस पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाएगी तो यह और अधिक जटिल हो जाएगा। इसीलिए, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।

28.03.2025/1435/टी0सी0वी0/एच0के0-2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्यगण सर्वश्री रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, हरीश जनारथा, सुदर्शन सिंह बबलू, केवल सिंह पठानिया और श्री विनोद सुल्तानपुरी का इस विषय पर चर्चा करने और अपने सुझाव देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक धारा-118 के विषय की बात है तो यह बिल सीधे धारा-118 से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्टांप ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है। जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं कि हिमाचली सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनियां या

चैरिटेबल ट्रस्ट भी 12 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के दायरे में आ जाएंगे, वह तर्कसंगत हैं। लेकिन स्टांप एक्ट के अंतर्गत सैक्शन- 9 में सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जरूरत पड़ने पर किसी भी परिस्थिति में उनको छूट प्रदान कर सकती है। चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी हो या अन्य कोई संस्था, सरकार आवश्यकतानुसार उन्हें विशेष रियायत देने का प्रावधान है । अब यह सवाल उठ सकता है कि 12 प्रतिशत दर अधिक है या नहीं। यदि हम आकलन करें, तो हाल ही में इसी सत्र में एक प्रश्न उठाया गया था कि धारा- 118 के अंतर्गत कितने लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें कमर्शियल और व्यक्तिगत आवेदनों की संख्या लगभग 1,000 के आसपास है। जब अन्य सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस पर 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लागू की जा रही है, तो 12 प्रतिशत की दर अत्यधिक नहीं कही जा सकती। यह दर उन लोगों पर लागू होगी जो बड़े प्रोजैक्ट स्थापित करना चाहते हैं या व्यावसायिक संगठनों से जुड़े हैं।

इसके अलावा, स्टांप एक्ट के सैक्शन-9 में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी संस्था को विशेष छूट दे सकती है या उनके लिए अलग-अलग दरें तय कर सकती है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को पारित किया जाए।

अध्यक्ष एन0एस0 द्वारा शुरू ...

28-03-2025/1440/एन0एस0-एच0के0/1

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारणः

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4)को पारित किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4)को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

" भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ"

28-03-2025/1440/एन0एस0-एच0के0/2

अब राजस्व मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मंत्री जी बाद में बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह बिल क्यों लाया गया? प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के तहत जनता की संपदा को कैसे वापिस लिया जाए? हमने इस बिल के माध्यम से यह कोशिश की है। जब यह बिल पास होगा और इसकी राज्यपाल महोदय से असेंट आ जाएगी तथा बिल पास होने के बाद एक्ट बन जाएगा। इस बिल पर पहले हमने एक कंसल्टेंट हायर किया था और हमारे पास दो प्रकार के बिल आए। हमने पाया कि बैस्ट प्रेक्टिस इस तरह से रहेगी। असेंट के बाद इस बिल का जब एक्ट बनेगा तो हमें उम्मीद है कि शुरुआत में 500 करोड़ रुपये से लेकर 1000 करोड़ रुपये की आय इस वित्तीय वर्ष में होने की संभावना है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। बाकी इस बिल के संदर्भ में मंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-9 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8 और 9 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

28-03-2025/1440/एन0एस0-एच0के0/3

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ"

आगे आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.03.2025/1445/RKS/एचके-1

अध्यक्ष..... जारी

अभी कुछ और भी सरकारी विधेयक हैं।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025(2025 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8)पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-6 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5 और 6 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

28.03.2025/1445/RKS/एचके-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) पारित हुआ"।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9)पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9)पर विचार किया जाए।

इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं और फिर माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर देंगे। माननीय सदस्य, श्री संजय अवस्थी जी क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

28.03.2025/1445/RKS/एचके-3

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9)" प्रस्तुत किया है, मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक घटना सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री स्वर्गीय डॉ0 वाई0एस0 परमार के कार्यकाल में एक समय ऐसा था जब विधायकों को पेंशन नहीं मिलती थी। जब डॉ0 वाई0एस0 परमार जिला हमीरपुर के दौरे पर थे तब उन्होंने एक स्थान पर कुछ मजदूरों को सड़क पर काम करते देखा। उन्होंने अपनी गाड़ी वहां रोकी और एक श्रमिक के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। मैं जो घटना यहां उल्लेख कर रहा हूं वह स्वर्गीय डॉ0वाई0एस0 परमार के सहयोगी ठाकुर कर्म सिंह जी द्वारा लिखे गए एक लेख पर आधारित है। मैं उसी घटन के ऊपर यहां पर चर्चा कर रहा हूं। डॉ0 वाई0एस0 परमार जी ने जिस श्रमिक को गले लगाया था, वह पूर्व विधायक थे। उसके बाद डॉ0 वाई0एस0परमार जी ने विधान सभा में एक बिल पेश किया और उस बिल के पारित होने के बाद ही विधायकों को पेंशन मिलना शुरू हुई।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1450/बी.एस./डी.सी./-1

श्री संजय अवस्थी जारी...

उसके बाद समय बीतता गया, मुख्य मंत्री बदलते गए और सरकारें भी बदलती रहीं। समय-समय पर बेतन और भत्तों में वृद्धि हुई और वेतन भत्तों में आखिरी वृद्धि वर्ष 2016 में हुई थी। अभी बीते कुछ दिनों में केन्द्र सरकार द्वारा लोक सभा के जो सांसद हैं उनके वेतन और भत्तों में भी वृद्धि की गई है। इसी तरह अन्य विधान सभाओं में भी इन्हें बढ़ाया गया है। यदि मैं कर्नाट की बात करूं तो वहां पर 100 प्रतिशत वेतन और भत्तों में वृद्धि की गई है। एक विधायक जब चुन करके आता है तो उसे ऑन इन एवरेज एक लाख मतदाता, जो हर विधान सभा क्षेत्र में हैं उनका वह प्रतिनिधि करता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में जिस तरह से विधान सभा का स्वरूप बदला है। आज बहुत से पूंजीपति भी चुन करके आए हैं और लोगों ने उन्हें चुन करके भेजा है। पंचायती राज के प्रतिनिधि भी यहां पर सदन का हिस्सा बने हैं। मुख्य मंत्री जी ने जो बिल यहां पर पस्तुत किया है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूंजीपतियों को यदि वेतन और भत्ते न भी मिले तो उन्हें कोई फर्क नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए और इसे मजबूत करने के लिए सही लीडरशिप आगे आएं और उसे फाइनेंशियली भी प्रोटेक्ट करना है। उस दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव यहां पर लाया गया है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। आज जिस तरह से इंफ्लेशन बढ़ा है वर्ष 2016-25 तक 9 वर्ष का लगभग समय वेतन में वृद्धि का हुआ है, इसलिए यह समय की जरूरत भी है। मैं इस बिल का समर्थ करता हूं और आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2025/1450/बी.एस./डी.सी./-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डॉ0 हंस राज जी, अपनी बात रखेंगे।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बिल जो पिछले 9 सालों से पेंडिंग था उसे आज मुख्य मंत्री जी इस हाउस में लाये हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने माननीय विधायकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझते हुए इस बिल को लाया

है। एक प्रतिनिधि के नाते लोगों के प्रति जिस तरह से विधायकों की जवाबदेही बढ़ी है, जिस तरह से माननीय सदस्य संजय अवस्थी जी कह रहे थे। मैं समझता हूं कि इस मौके पर हमें राजा वीरभद्र सिंह जी को भी याद करना चाहिए। वे स्वर्ग में है, जब में वर्ष 2012 में चुन करके आया तो हम लोग एक निम्न परिवार से चुन करके आए हैं। पिता जी ने पाइप फिटिंग का कार्य किया। ये लोगों का, पार्टी के लोगों और शीर्ष नेतृत्व का हम पर एक भरोसा था कि उन्होंने हमें चुन करके यहां भेजा। जैसा दायित्व उन्होंने प्रदान किया और जिस तरह की मर्यादाएं और लोगों द्वारा मान-सम्मान दिया गया उसके साथ-साथ बहुत सारे बंधन भी हमारे साथ जुड़ गए। जिनका नतीजा यह था कि समाज के प्रति हमारा क्या आचरण हो और क्या दायित्व हो? नेताओं को लोग ज्यादातर (***) ही कहते हैं। इस तरह की संज्ञा देते थे। हमने देखा कि जब मैं टी0जी0टी0 आर्ट्स था, हम लोग ग्रांट इन एड में पढ़ाते थे। सोशल मीडिया में ये शब्द कहा जाता है।

अध्यक्ष : (***) शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

डॉ0 हंस राज : मैं 9 माह तक माध्यमिक स्कूल, जनवास में पढ़ा चुका हूं। उस समय मेरी जेब में 20 रुपये जाते थे तो शाम को 20 ही रुपये वापिस आ जाते थे। मेरी जरूरत ही उतनी थी। मेरा सामाजिक दायित्व ही इतना था। यह मैं सच बता रहा हूं। मेरा स्कूल घर से 2-3 किलोमीटर की दूर था और मैं पैदल आता था और पैदल ही जाता था। मुझे उस वक्त उतनी ही जरूरत थी। जब हम इस स्वरूप को देखते हैं कि हम एक लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा माननीय सदस्य संजय अवस्थी जी ने कहा तो हमें वाहन भी उसी तरह का रखना पड़ता है और यह हमारी आज की जरूरत है। मैं जैसे 500 किलोमीटर दूर से आता हूं और किसी ऑर्डिनरी गाड़ी में नहीं आ सकता। जिस तरह से पहले हमारी झण्डियां होती थी, बत्तियां होती थीं, सारी व्यवस्थाएं रहती थी और लोग सम्मान भी करते थे और रास्ता भी दे देते थे। अगर मैं सच बताऊं तो अब जान बचाना मुश्किल हो गया है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

28.03.2025/1455/DT/ए0जी0-1
डॉ0 हंस राज जारी....

मैं आपको सच बता रहा हूं। अब जिस तरह की गतीविधियाँ और जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, हमें न चाहते हुए भी बड़ी गाड़ी रखने की जरूरत पड़ती है। अगर लोन भी लेना पड़े तो वह भी लेना पड़ता है। हमें एक अच्छे घर की भी जरूरत होती है जिसमें चार कुर्सियाँ हो, चार लोग चाय पीने आएं तो उन्हें चाय पीला दें और अगर कुछ लोग रुक जाएं तो हमें उन्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा। हम इसके लिए चोरी और छीना-झपटी नहीं कर सकते। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप हमें फाइनेंशियल मदद करें। हमारे ऊपर सबकी नजरें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं।हमारे माता-पिता के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति भरण-पोषण का दायित्व है। सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हमारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति है। हमने कहा था कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत गाड़ियां दौड़ती हैं उसमें हमें आप थोड़ा सा अनुदान दिया जाए। आप उसमें कुछ कृपा कीजिए चाहे हमारी सैलरी न बढ़ाएं। हमें 10-12 हजार किलोमीटर वाहन चलाने के बाद टायर बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 70-70 हजार रुपये के होते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सभी खर्चे बढ़ गए हैं।सारी चीजों का आकलन करने के बाद यह सब हमें अपनी जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, ताकि हम अपने दायित्वों को ठीक से निभा सकें। सारी चीजों का आकलन करने के बाद हमने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया कि आप भी यहां बैठते थे और राजा वीरभद्र सिंह ने हमे गर्दनी ऊंची करके हमें जीने का सम्मान दिया। मैं भरी सभा में इसलिए कह रहा हूं नहीं तो मैं दूसरे टेन्योर में राजनीति छोड़ देता। हम न तो जमीदार, न इंडस्ट्री वाले और न ही इतना ज्यादा धन हमारे पास नहीं था। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह जो एक्ट लाया है वह बहुत बढ़िया है। वाहन की सुरक्षा का विषय किसी झंडी से नहीं जुड़ा हुआ है, यह एक सिम्बोलिक है ताकि आपको पास मिलता रहे। हमें 5-6 सौ किलोमीटर दूर से आते हैं आप भी स्वयं काफी दूर से यहां आते हैं। पीछे हमारे विधायक के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। छीनाझपटी तक नोबत आ गई थी। इस परिवेश में हमें हर तरह से सही होने की आवश्यकता है। मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं। हमारी काफी देर के बाद किसी ने सूध ली है। अब कर्मचारी बाहर धरना करें लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। लोग सोशल मीडिया में कुछ भी चलाएं लेकिन हम अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी है।

हमारी जिम्मेवारी फिक्स है। हमे 24x7 काम करते हैं इसलिए इस बिल का आना जरूरी था। महंगाई बढ़ गई है और हमारी फाइनेंसियल स्थितियां भी ठीक नहीं है। हम भी आपके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है मैं इस पर बोलना चाहता हूं। मुझे वर्ष 1982 से लेकर आज तक 6 बार इस विधान सभा में आने का मौका मिला। हम डॉ0वाई0एस0परमार को याद कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो हमारे विधायक ग्रामीण परिवेश से आते हैं वे अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस वक्त जो विधायक लेबर के रूप में काम करता है, जूते की दुकान के ऊपर बैठता है और जो रिजर्व कैटेगिरी के लोग विधान सभा में आते थे उनको आर्थिक स्थिति को देखकर उन्होंने एक बिल विधान सभा में रखा जो बाद में पास हो गया।

श्री प 0बी0द्वारा जारी

28.03.2025/1500/YK/PB/1

कृषि मंत्री जारी...

उस वक्त कुछ लोग डॉ0 वाई0एस0 परमार जी के विरुद्ध थे। वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि जो विधायक चुन के आते हैं उनके लिए इस प्रकार का बिल पास करके वेतन की बात रखी और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी विधानसभाएं और सांसद आते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डॉ0 वाई0एस0 परमार को बुलाया और कहा कि आपने जो पहल की है आपने उसे कैसे किया है और आप इसे कैसे पूरा करेंगे? आपने एक ऐसी प्रथा शुरू कर दी है। डॉ0 वाई0एस0 परमार जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उस गरीब आदमी की पूरी कहानी को सुनाया और कहा कि यह मेरे अपने दिल की मंशा है कि हमारे विधायकों को एक या दो टर्मस में लोगों की सेवा करने के बाद अगर अपनी जीविका के लिए श्रम करना पड़े तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनकी

बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद बहुत सी विधानसभाओं ने यह बिल अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित किए। एक विधायक जब चुन के आता है तो वह अपनी विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व करता है और उसकी दिनचर्या की कोई समय सीमा नहीं होती है। कभी वह सुबह 6:00 बजे जाता है और कभी देर रात तक काम करता है। हमारे समय में जब आने-जाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी तो हम लोग शिमला आने के लिए पठानकोट से ट्रेन पकड़ते थे और कालका उतर कर वहां से बस द्वारा विधान सभा की मीटिंग में पहुंचते थे। वह उस वक्त की व्यवस्था थी। यह श्रेय स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है। जिन्होंने समय-समय पर विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए थे। एक विधायक का कार्य जिम्मेदारी का होता है क्योंकि जब हम गांव जाते हैं तो हमारे पास लोग सुबह-सुबह ही आ जाते हैं और उन्हें चाय-पानी पूछना पड़ता है। जब दूरदराज से कोई वोटर आता है तो खाने के लिए पूछना पड़ता है। मैं यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि जब में सांसद बनकर गया उस वक्त मेरा हरियाणा का एक सांसद दोस्त था, उसके घर में चार आदमी खाना बनाने के लिए होते थे। उसकी कांस्टीट्यूएंसी नजदीक थी इसलिए सुबह सौ से डेढ़ सौ लोग चाय-नाश्ते के लिए आते थे। मैंने उनसे कहा कि आप तो मेला लगा के रखते हो। मेरे दोस्त ने कहा कि इन्हीं की बदौलत हम संसद में चुन कर जाते हैं। जिस ग्रामीण परिवेश से हम आते है, हमारे भी खर्चे बढ़ गए हैं। मैं देख रहा था कि जब हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री श्री

28.03.2025/1500/YK/PB/2

जवाहर लाल नेहरू जी थे, उस वक्त एक डॉलर 4 रुपये 20-25 पैसे का था। आज वही डॉलर 87 रुपये का हो गया है और रुपये में इतनी डैप्रिसियेशन आई है। हमारे लोग जो बाहर टूर पर जाते हैं या मीटिंग करते हैं तो आज किराया पुराने ज़माने का नहीं लगता है। आज हवाई जहाज़ का किराया बहुत ज्यादा है। हम जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस वक्त लाहौल-स्पीति और कुल्लू के तथा अन्य स्टूडेंट कनसेशन पर बाई एयर चंडीगड़ जाते थे और उनका किराया भी मामूली होता था। आप आज देखिए किराए कितने बढ़ गए हैं, आप चाहे ट्रेन में या चाहे बाई एयर चले जाओ। आज पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। समय के साथ विधायक के खर्चे कम नहीं होते हैं बल्कि बढ़ते ही जाते हैं। प्राइस इंडेक्स के साथ

संसद का वेतन बढ़ा है। मैं भी सांसद रहा हूं हमें एक मीटिंग को एटेंड करने के 500 रुपये मिलते थे। हमारी तनख्वाह बहुत कम थी। मैं जब संसद से विधान सभा में आया तब हमें संसद से 25,000 रुपये पेंशन मिलती है और हमें डी0ए0 भी नहीं मिलता है, अब उसे बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया गया है। अगर एक सांसद घर बैठ जाता है तो उसकी 31,000 रुपये पेंशन होगी।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

28.03.2025/1505/D.C /A.P/1

कृषि मंत्री जारी ....

एक क्लास-IV को भी हमारे से ज्यादा पेंशन मिलती है, जब वह रिटायर होता है। यह एक अच्छी सोच है कि एक डिग्निफाइड तरीके से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। क्योंकि एम.एल.ए. और मिनिस्टर्स के ऊपर कई बार दोषा-रोपण लगते हैं। अगर उनके भत्तें और उनके लिए सुविधाएं अच्छी होंगी तो उससे हमारा डिलीवरी सिस्टम भी अच्छा होगा और हमारा कॉन्टेक्स्ट भी असेंबली में बना रहेगा। जो बिल इस माननीय सदन में रखा गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी।

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी, ने माननीय विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन की वृद्धि को लेकर जो बिल इस माननीय सदन में लाए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करने हेतु यहां पर खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो बिल आज हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी लेकर आए हैं, वह बिल महंगाई को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि यह बिल काफी पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात है कि अगर यह आज आ गया है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती। उसके ऊपर सिर्फ अपने परिवार की ही लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो स्वाभाविक है जैसा यहां पर माननीय सदस्य

डॉ0 हंस राज जी ने कहा कि लगभग जितने भी यहां पर माननीय विधायक चुनकर आये हैं वे सभी लगभग एक लाख से ऊपर की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों को आशा, अपेक्षा विधायकों से अधिक रहती है। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बताना चाहता हूं। जब हम छोटे-छोटे होते थे, तो स्वभाविक रूप से उस समय साधन बहुत कम होते थे। रोजगार बहुत कम होता था, नौकरियों में बहुत कम लोग होते थे। लेकिन जब हमारे या आपके घरों में कोई कर्मचारी परिवार का सदस्य रात को रुकने आता था। लेकिन जब सुबह वह वापिस जाता था तो परिवार के सदस्य जरूर पूछते थे कि जो आए थे उन्होंने आपको कितना पैसा दिया, क्योंकि वह नौकरी वाला था। तो उससे अपेक्षाएं ज्यादा रहती थी।

28.03.2025/1505/D.C /A.P/2

आज हम जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं चाहे वह बी.जे.पी. से हो या कांग्रेस से हो लेकिन आप जब आप अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं तो आपको कार्यक्रमों में भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनैतिक दलों के लोग फंक्शन में बुलाते हैं। आपको जाना पड़ता है और जब आप वहां पर जाते हैं तो शगुन के तौर कुछ न कुछ देना होता है। शगुन देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आपने कितना शगुन दिया, उसके ऊपर सबकी नज़र होती है। यह भी हमने कई जगह देखा है और यह एक सच्चाई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर फ्लैग को लेकर भी जिक्र किया। मैं इस बात से सहमत हूं। हमारी तरह या डॉ0 हंस राज जी की तरह या अन्य विधायकों की तरह सभी माननीय विधायक नहीं हो सकते। हम लड़-झगड़ कर भी सारी चीज़ें करवा लेते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जो ठीक तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते और जिनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, उनसे भी बातें सुननी पड़ती हैं। हम देखते हैं कि जिला परिषद के अध्यक्ष के पास अपने फ्लैग दिया है, डीसी के पास फ्लैग दिया है, एस.पी को फ्लैग दिया है, डायरेक्टर को फ्लैग है, सेक्रटेरी को फ्लैग है, चीफ सेक्रेटरी को फ्लैग है और एसडीएम को भी फ्लैग है और जो माननीय विधायक, जो इन सबके लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए फ्लैग की व्यवस्था नहीं है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आज जब हमारे वेतन भत्तों को लेकर आप इस बिल को यहां से पास करोगे तो निश्चित तौर पर विधायकों के फ्लैग को लेकर काफी लंबी लड़ाई और

संघर्ष चला है तो मैं चाहता हूं कि उस फ्लैग को लेकर आप आज उस झंडी को भी अंतिम झंडी दिखा दें, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि जब प्रोटोकॉल की बात आती है तो सभी माननीय विधायकों को एक बात कही जाती है कि आपका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटेरी से ऊपर है। यह सुनने में सच में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब सुख सुविधा की बात आती है। हम में से कुछ विधायक मेट्रोपोल में रहते हैं, कुछ जवाहर सदन में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 2 बी.एच.के. का एक सेट मिला हुआ है। कई लोग तो उसको कबूतर खाना बोलते है। लेकिन जब हम डायरेक्टर की बात करें, जब हम सैक्रटेरी की बात करें, चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

28.03.2025/1510/एटी/डी0सी0/1

श्री विनोद कुमार जारी....

इन सबको टाइप 5 व 6 की कोठियां दी गई हैं और वहां पर सभी सुख-सुविधाएं दी गई हैं। जब इनको सुविधाएं मिल सकती हैं तो हमारा प्रोटोकोल अगर इन सबसे ऊपर है तो उसी प्रकार की सुख- सुविधाएं माननीय विधायकों को भी मिलनी चाहिए । आज माननीय मुख्य मंत्री जी जो बिल लेकर आएं है उसका हम सब समर्थन करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा । यह सरकार ने तय किया है कि हमारा प्रोटोकोल मुख्य सचिव से ऊपर है। जब सैलरी को लेकर बात आई है, जब हमारा प्रोटोकोल उनसे ऊपर है तो हमारी सैलरी भी चाहे एक ही रुपये ऊपर हो, होनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय , आप जिस बिल को लेकर आए हैं, उसके लिए एक बार पुनः मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद , जय हिमाचल ।

राजस्व मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सैलरी और अनाउंसिज़ का बिल माननीय मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने जिन मुद्दों को उठाया, उनका भी समर्थन करता हूं। हमें हमेशा सैलरीज़ के लिए बिल लाना

पड़ता है। कर्मचारियों के लिए तो पे-कमीशन है और समय-समय पर इनका स्केल रिवाइज़ भी होता है परंतु जो हमारा बिल है, उसको हमें विधान सभा के अंदर लेकर आना पड़ता है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 106 और 195 में यह प्रावधान किया है कि अगर हमारी सैलरी और अलाउंसिज़ को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें बिल लेकर आना पड़ता है। हम जब बिल लेकर आते हैं तो इतनी चर्चा हो जाती है कि पता नहीं हम अपने आप को क्या ले रहे हैं? हम कोई आसमान नहीं मांग रहे हैं। जो बातें मेरे साथियों ने कही, उसी बात को हम लेकर आगे बढ़े हैं। यह भी सही है कि आज के परिवेश में जो हमारी सैलरी है, अलाउंसिज़ हैं, वह रीजनेबल होने चाहिए। हम यह नहीं कह रहें कि अन - रीजनेबल हो। रीजनेबलनैस उसमें दिखानी भी चाहिए। वर्ष 2017 में आखिरी बार यह बिल आया था और उसके बाद लगभग 8 साल तक हमने एक पैसे का भी इजाफा नहीं किया। तो हमारा समय आ गया है। एक ही तरीका है कि यहां पर बिल के माध्यम से आएंगे और अभी से सुर्खियों में आ गया होगा कि माननीय आज आखिरी दिन में अपने आप को ढेर सारी रेवड़ियां देकर चले गए। यह कहने में कोई परहेज नहीं है परंतु इसके पीछे उनको यह भी लिखना चाहिए कि क्यों हम अपनी सैलरी और अलाउंसिज़ को बढ़ा रहे हैं? इस तर्क को हमारे फोर्थ पिल्लर वाले लिखते नहीं हैं। वे सिर्फ सूर्खियां लिखेंगे आगे लिखते नहीं है। हमारी

28.03.2025/1510/एटी/डी0सी0/2

समस्याओं का भी उसमें जिक्र करें। हैडलाइन बेशक बना दें परंतु उसके नीचे यह भी लिखें कि किन कारणों से यह बिल आया है और क्यों यह जरूरत पड़ी है । अब पार्लियामेंट में जो इसी किसम का बिल आया । 24 परसेंट हाइक भी हो गई।तो वहां पर कोई हल्ला नहीं पड़ा । हमारा हल्ला इसलिए पड़ता है कि हमें तो चुनाव क्षेत्र के लैवल पर जाना है। एम0पी0 का हल्ला इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 17 चुनाव क्षेत्रों के ऊपर एक एम.पी. होता है तो उनके लिए ज्यादा कोई सोचता भी नहीं है ।यह बहुत बढ़िया बिल आया है और इसका हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो अभी और साथियों ने कहा, झंडे की बात हुई है, राजनीतिक शक्ति की बात है। पिछली बार पिछली सरकार ने सब कुछ किया। उसमें इन्होंने कानून भी बदल दिया था परंतु आखिरी मिनट में पता नहीं क्यों पीछे हट

गए? अब यह भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जब कैबिनेट कमेटी से हम चीफ सेक्रेटरी को झंडा दे रहे हैं, नीचे अधिकारियों को झंडा दे रहे हैं, जिला परिषद को दे रहे हैं तो हम जब रूल भी अमेंड कर दिया, इन सबके झंडे उतारे जा सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला दमदार हो वह चालान करें तो इन सबकी खटिया खड़ी हो सकती हैं। हमारा जो झंडा लगेगा वह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर उस झंडे को लगाकर जाओगे, हमारा मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडेड है, नियम के तहत है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, यह बड़ी बात है।

अध्यक्ष : नेगी जी, एक मिनट। यह जो फ्लैग का इश्यू आपने रेज़ किया, अमेंडिड तो है परंतु यह क्या ज्यूरिडिक्शन के बाहर भी अलाउड है? क्या स्टेट से बाहर पंजाब, हरियाणा में भी अलाउड है?

राजस्व मंत्री : बिल्कुल सर। मोटर व्हीकल एक्ट में 107 जो अमेंडमेंट हुई है, आप जहां जाएंगे झंडा आपके साथ होगा। किसी समय जब रैड लाइट लगाते थे, उसका भी कोई कानून नहीं था।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी .....

28.03.2025/1515/yk/MD/1

राजस्व मंत्री----जारी :

उस समय एस0डी0एम0 लेवल तक सब रेड लाइट लगा रहे हैं और विधायक भी रेड लाइट लगा रहे हैं पर एंबुलेंस को बहुत बाद में रेड लाइट मिली। जैसे कोई बोर्ड निगम के वाइस चेयरमैन होंगे उनका रिजनिंग था कि उनके नीचे जो एम0डी0 हैं वह आई0ए0एस0 हैं। अगर आई0ए0एस0 रेड लाइट लगा रहा है तो जो वाइस चेयरमैन है उसको भी रेड लाइट लगाया हुआ है। हम कई बार हमें ऐसी ऑक्वर्ड सिचुएशन में थे कि हमारी कॉमेटी के जो चैयरमैंन है वह आगे जा रहे हैं पर उनकी गाड़ी के उपर बती नहीं है और हम वाइस चेयरमैन पार्टी से है हमारी गाड़ी के उपर बती लगी हुई है। ये ऑक्वर्ड़ चीजें है और इनको ठीक करना जरुरी है। जो झंड़े वाली बात है ये या तो सबके साथ हो इसका रुल बना हुआ

है। इसमें क्यों विलंब किया जा रहा है, ये भी सोचने की जरूरत है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी से भी निवेदन करूंगा कि ये भी अपने विचार रखें कि ये बढ़ना चाहिए या नहीं।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्य मंत्री जी, जो यहां पर बिल लेकर आए हैं, जिसमें माननीय सदस्यों के वेतन और पेंशन के बारे में बताया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज समय की नजाकत को समझते हुए यह बिल आया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, का धन्यवाद करना चाहूंगा। वर्ष 2012 में जब मैं विधायक बना था तो उस वक्त केवल 70,000 रुपया मात्र विधायक को मिलता था। वह 70,000 रुपया सिर्फ मेरा खर्चा हो जाता था। कई बार मुझे अपने पिताजी और पत्नी से पैसे लेने पड़ते थे। यह सच्चाई है और श्री जय राम ठाकुर जी इसके गवाह हैं। जब हम लोग तिरुपति गए और वहां से वापस आए तो हमारा खर्चा हो गया। हम वहां पर बैठे तो श्री जय राम ठाकुर जी ने भी कहा कि यार मुझे तेरी भाभी से मुझे पैसे लेने पड़ते हैं मेरा खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा मुझे भी मेरी पत्नी और पिताजी से पैसे लेने पड़ते हैं। फिर हम दोनों स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के पास गए और हमने राजा साहब से बात की कि हमें ऐसी दिक्कतें आ रही है। उन्होंने तुरंत सभी अधिकारियों को बुलाया और एक मीटिंग कॉल की तथा मीटिंग कॉल कर के उन्होंने निर्देश दिए कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाएं। वर्ष 2014 में यह भते बड़े और बढ़कर1 लाख 10 हजार रुपया

28.03.2025/1515/yk/MD/2

उस वक्त हुआ। लेकिन हमारे खर्च फिर पूरे नहीं हुए। क्योंकि एक विधायक पूरे चुनाव क्षेत्र को देखता है और कर्मचारी केवल कार्यालय को देखता है या फिर परिवार को देखता है। 70 हजार से एक लाख आदमी के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा परिवार पूरा चुनाव क्षेत्र होता है। चाहे उसमें कोई फंक्शन हो रहा है, कोई मृत्यु हो रही है, कोई आपदा आ रही है या लोगों का रोज हमारे से मिलना जुलना है। हर प्रकार के कार्यक्रमों में हमें सम्मिलित होना पड़ता है। हम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें यहां चुनकर भेजा है। हमारा भी यह दायित्व बनता है कि उनकी आओ भक्त हम करें। जब वह हमारे घर में आए तो उन्हें भी चाय-पानी मिले और आओ भक्त उनकी भी की जाए। इन सारी चीजों को

पूरा करने के लिए हमें भी तो कहीं से साधन चाहिए। सारे विधायक कोई बिजनेस मैन नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्र की बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद हम यहां पर पहुंचते हैं। एक विधायक बनना कोई छोटा संघर्ष नहीं होता है यह एक छोटी बात नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति कई लोग यहां बैठे हुए हैं जिनको संघर्ष करने के बाद यह कुर्सी हासिल हुई है। उस चीज में हम अपने लोगों को यह नहीं कह सकते कि हम आपका यह काम नहीं करेंगे। अगर 10 लोग हमारे साथ शिमला आएंगे तो उनका सारा खर्चा भी हमें बहन करना पड़ता है। अगर हम उनको किसी चुनाव क्षेत्र में अपने साथ घुमाएंगे या जिला हेड क्वार्टर पर लेकर जाएंगे तब भी हमें उनका सारा खर्चा बहन करना पड़ता है। हम कभी यह नहीं कह सकते कि आप गाड़ी में तेल डालो या आप ढ़ाबे का खर्चा दो यह सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। इसलिए हमें जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को मध्य नजर रखते हुए

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

28-3-2025/1520/केएस/एचके/1

श्री संजय रत्न जारी ---

मैंने दोबारा राजा वीरभद्र सिंह जी से बात की। मैंने कहा कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, हमें उधारी लेनी पड़ रही है। यहां तक कि हमारे कई विधायक बैंकों से भी लोन लेते हैं। मेरे ऊपर भी अभी तक 25-30 लाख रुपये का लोन है। बाकी लोगों के ऊपर भी होगा क्योंकि हमें खर्चे मीट आउट करने पड़ते हैं। हम बाहर नहीं बोल सकते कि हमारे पास साधन नहीं है या पैसे नहीं है। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम चाहे जहां मर्जी से पैसा लाएं, वह हमें लाना पड़ता है और अपने स्टेटस को मेंटेन करना पड़ता है। दोबारा वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से हमने बात की और दोबारा से बिल लाए। उस वक्त विधायकों का वेतन 2.10 लाख रुपये हुआ। सैलरी तो हमारी 55 हजार है परंतु पूरे अलाउंसिज़ मिलाकर इतने हुए। उसके बाद श्री जय राम ठाकुर जी सरकार में आए, चाहिए तो यह था, क्योंकि ये भी उधारी लेते थे और इनको अपने समय में भी बढ़ाने चाहिए थे परंतु बीच में कोरोना आ गया। अगर ये कोरोना के बीच में बिल लाते तो समाज में और ज्यादा क्रिटिसिज्म होता कि एक तरफ आपदा आई है और एक तरफ ठाकुर साहब हमारा वेतन बढ़ा रहे हैं। जैसे-तैसे वह समय बीत गया परंतु मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना

चाहूंगा जिन्होंने एक बहुत अच्छा स्टैप लिया है। क्योंकि विधायकों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना भी लीडर ऑफ द हाउस का जिम्मा है। पार्लियामेंट में पिछले दिनों सम्माननीय मोदी जी ने बिल पेश किया और 24 परसेंट हाइक दी। उन्होंने तो वर्ष 2023 से दो साल पीछे का एरियर भी दिया है कि जो पार्लियामेंट के सदस्य पीछे रह गए हैं, उनको भी दिक्कतें आईं होंगी। उनको मीट आउट करने के लिए भी उन्होंने एरियर दिया है। हम एरियर की बात नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्तान की और भी बहुत सी असैम्बलीज़ ने, यहां तक कि 100-100 प्रतिशत हाइक दी है। आपने एक बहुत अच्छा स्टैप लिया है क्योंकि अगर हम साधन सम्पन्न होंगे तो लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं और पारदर्शिता भी रहेगी। मीडिया वाले भी लिखते हैं और अभी व्हाट्सएप पर भी चल रहा है, यह तो चलता रहेगा लेकिन चलाता कौन है? जो खुद पैसे लेते हैं, जो खुद अपनी हाइक करवाते हैं, जो खुद पैंशन लेते हैं। आज हमारी पैंशन को बंद करने की बात वे ही करते हैं। आम आदमी तो सुविधा चाहता है। वह चाहता है कि हमारा विधायक 24 घंटे हमारे बीच में रहे, हमारा काम करे। चाहे उसे दिल्ली जाना पड़े, शिमला जाना पड़े या

28-3-2025/1520/केएस/एचके/2

डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में जाना पड़े । वह अपनी सुविधा चाहता है और उन सुविधाओं को देने के लिए हमें भी तो साधन चाहिए। जब हम सक्षम होंगे तो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। पहले होता था कि कभी किसी को बोल देते थे कि हम बस में जा रहे हैं, 4 नम्बर सीट हमारी रिज़र्व होती है तो गाड़ी में हमें सीट दो। क्योंकि विधायकों के पास गाड़ियां नहीं होती थीं। पिछली सरकारों के समय जब हमारे लिए लोन की व्यवस्था की गई तो अधिकतर विधायकों ने लोन के जरिये गाड़ियां लीं। अब जब हम गाड़ियों में चलते हैं तो भी कई लोगों को समस्या हो जाती है। हमारी 80 प्रतिशत ज़िंदगी गाड़ियों में ही बीत जाती है। मैं स्वयं अपने आप एक दिन में दो-दो बार भी शिमला आता-जाता हूं। सुबज 4:00 बजे चलता हूं और 10:00 बजे शिमला पहुंचता हूं। काम करके वापिस जाता हूं फिर वहां से 6:00 बजे वापिस शिमला के लिए चलता हूं और रात को शिमला में सोता हूं। अगर हम अच्छी गाड़ी नहीं लेंगे तो कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। अच्छी गाड़ी आज के समय में 50-60 लाख रुपये से नीचे नहीं आती। उसको लेने के लिए भी तो हमें साधन चाहिए। जो आपने लोन की बढ़ौतरी की थी, उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी, मैं

आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी वक्ता बोलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, राजा वीरभद्र सिंह जी के बाद मैं तो आपको ही श्रेय दूंगा कि आप ऐसे मुख्य मंत्री हुए जिन्होंने इस बारे में गौर किया और हमें सुख-सुविधा देने की बात सदन में ले कर आए। व्यवस्था परिवर्तन यह है। मुख्य मंत्री महोदय, आज राजा वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन हमारे पूर्व विधायक, हमारे वर्तमान विधायक सभी उनको याद करते हैं। मुख्य मंत्री जी, हम चाहेंगे कि आप हज़ारों साल जिए और लोग आपको हमेशा याद रखें। हमारे समाज के लिए, इस विधायक सदन के लिए जो आप करेंगे वह हमेशा याद रखा जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे साथियों की झंडी की बात है, उसके बारे में भी कहना चाहता हूं कि जब आपने खुला दिल कर दिया है तो झंडी को भी आप यहीं से अनाउंस कर दें। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।

अगले वक्ता श्रीमती अ0व0 कीबारी में---

28.03.2025/1525/AV/वाईके/1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी, अब आप बोलिए।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा संशोधन हेतु लाए गए इस बिल के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि ये पिछले 9 वर्षों से हमारे भत्तों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। आज 9 वर्षों के बाद आपकी यह तपस्या भी पूरी हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपने विधायकों की पीड़ा को समझा है। मैं यहां पर स्व0 श्री वीरभद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उस समय जब श्री संजय रत्न जी ने उनके समक्ष ये बातें रखी थीं तो उन्होंने हमारी बातों को मानकर हमारी मान-मर्यादा को बढ़ाया था। आलोचना तो होती रहती है और राजनैतिक क्षेत्र में आलोचना किसकी नहीं होती, सबकी होती है। अभी सबसे ज्यादा हमारे पत्रकार बन्धु लिखेंगे और सबसे पहले एड मांगने के लिए भी वे ही आते हैं कि आज होली आ गई,

नया साल आ गया, आज मुख्य मंत्री जी का जन्मदिन आ गया, आज ठाकुर जय राम जी का जन्म दिन आ गया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्मदिन आ गया तो भाई साहब, कितने की लगाएं। उस समय हम बोलते हैं कि यार पैसे तो बचे नहीं परंतु आप लगा दो। इस तरह से विधायकों की पेंडेंसी तो चली ही रहती है। पत्रकारों के भी रोज़ चार-चार मैसेज आते हैं कि भाई साहब पैसे डाल दो। अब पेमैंट तो विधायक तभी डालेगा जब उसके खाते में पैसे आएंगे और इसको बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक था। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि अगर बढ़ाना ही है तो एक रिस्पैक्टेबल अमाउंट दे दीजिए, इसमें कोई गुरेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें सामाजिक दायित्व के साथ-साथ बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। आज सुबह ही मेरे पास घर पर पांच मरीज आए थे। उनमें से किसी ने पी0जी0आई0 जाना था और किसी ने आई0जी0एम0सी0 जाना था। मैंने उनको अपनी जेब से पैसे दिए। सभी गरीब लोग विधायक से इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। कोई टेलीफोन पर बताते हैं कि हम पी0जी0आई0 या टांडा मेडिकल कॉलेज में हैं और हमारे पास बिल देने के पैसे नहीं है। हम समय-समय पर किसी को पांच हजार रुपये, किसी को सात हजार रुपये या दस हजार रुपये डालते रहते हैं। ऐसे कोई नहीं करता होगा और ऐसा विधायकों को ही करना पड़ता है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपनी जेब से पैसे देते होंगे। कई बार

28.03.2025/1525/AV/वाईके/2

हमारे घर वाले हमारे से पैसे मांगते रह जाते हैं और हम उन्हें मना कर देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मगर वे भी बोलते हैं कि ऐसे आपके पास पैसे नहीं है और अगर निर्वाचन क्षेत्र से कोई आ जाए तो आप फटाफट जेब से निकालकर दे देते हैं। कभी आगजनी में किसी का घर जल जाता है या हमारी कोई बहन विधवा हो जाती है तो उनके शोक संतप्त परिवार में जब हम यह देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे हैं और आय का कोई साधन नहीं है तो जाकर उनको भी कुछ देना पड़ता है। भले ही उस छोटी-सी राशि से उनका कुछ नहीं बनता लेकिन फिर भी सांत्वना के रूप में हमारी तरफ से उनकी थोड़ी-बहुत आर्थिक मदद की जाती है। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं एक आम परिवार से आते हैं। हमने इनको भी बचपन से संघर्ष करते हुए देखा है। हम साथ पढ़े हैं और हमने देखा है कि ये किस प्रकार से

कॉलेज भी जाते थे तथा दूध भी बेचते थे। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का रहा है। हम लोग भी यहां शिमला में रहते थे और खेतीबाड़ी करते थे। हमारे बुजुर्ग सुबह-सुबह हमारी पीठ पर मूली-शलगम का बोरा लाद देते थे कि जाओ और इसको सब्जी मण्डी में जाकर बेचो। हम उसको सब्जी मण्डी में आकर बेचते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम यहां पर सभी साधारण परिवारों से चुनकर आए हैं और विधायक बनने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आजकल हर कोई यह सोचता है कि पता नहीं विधायक के पास कितना पैसा होता है। यहां तक कि हमारे ऊपर यह भी तमगा लगा होता है कि हम उलटे-सीधे काम करके बहुत पैसा कमाते हैं। हमारे में से कुछ माननीय विधायक साधन-सम्पन्न परिवारों से भी हैं। लेकिन हमारा तो कोई बिजनैस नहीं है और हमने तो चुनाव भी अपनी जमीन बेचकर लड़े हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप इसमें जितना कर सकते हैं, आप कीजिए। इसके अतिरिक्त यहां पर एरियर की बात भी की गई है। अगर हमें पीछे से एरियर भी मिल जाए तो वह भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने जहां इतनी कृपा दृष्टि रखी है तो मैं चाहूंगा कि आप एक कदम आगे बढ़कर इस कार्य को भी पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष टी सी द्वारा जारी

28.03.2025/1530/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह सभी के हित में लाया गया है। जब हम गांवों और बस्तियों में जाते हैं तो कई बार लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन हम जागते रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम 6 से 7 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से पंजाब में विधायकों को 4 लाख रुपये वेतन मिलता है, हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह की व्यवस्था लागू की जाए। आज के समय में समाज की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। जब कोई दुर्घटना होती है, शादी-

ब्याह होते हैं या कोई अन्य सामाजिक कार्य होते हैं तो सबसे पहले विधायक को ही आगे किया जाता है और उनसे सहायता की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में विधायक को शर्मिंदगी महसूस करते हुए भी मदद करनी पड़ती है। मैं इस व्यवस्था के पक्ष में हूं क्योंकि मैंने इस स्थिति को करीब से देखा है। हम पैदल चलकर स्कूल जाते थे, फिर प्रशिक्षण प्राप्त किया, नौकरी में आए और उसके बाद इस पद तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए क्योंकि इसके बारे में सभी विधायकों की एक राय है। मुख्य मंत्री जी दिल खोलकर माननीय सदस्यों की मदद करना चाहते हैं। उनका यह कदम सराहनीय है। मैं यह भी चाहूंगा कि प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की जाए और उनकी उनका जो एरियर है उस पर भी विचार किया जाए। मैं मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

28.03.2025/1530/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय , मेरे पास इस बिल के संदर्भ में बोलने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूं । जब मैं पहली बार विधायक बना तो हमारी सैलरी सारे भत्ते मिलाकर कुल 14500 रुपये थी। उस समय मुख्य मंत्री जी भी हमारे साथ विधायक थे। उस समय इन्होंने कहा था कि वेतन से अधिक पेंशन को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि पेंशन जीवनभर साथ रहती है, जबकि वेतन केवल कार्यकाल तक सीमित होता है। एक बार मैं पूर्व मंत्री हंस राज जी के घर गया। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मैंने सुझाव दिया कि उनके बेटे से जिला परिषद का चुनाव लड़वा देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर दिया। जब चौधरी साहब ने आखिरी चुनाव लड़ा था, तब उनको घर की आधी जमीन और गहने बेचने पड़े थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि यदि कोई काम मिलता, तभी घर में चूल्हा जलता था। उस समय कई पूर्व मंत्रियों की ऐसी स्थिति थी। इसके लिए श्री संजय रत्न और सुधीर जी ने भी निरंतर प्रयास किए। श्री जय राम ठाकुर जी ने भी जब विपक्ष में थे तो ये भी सभी सदस्यों के साथ पूर्व मुख्य मंत्री, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के पास जाकर विधायकों के भत्ते बढ़ाने के लिए आग्रह करते थे। आज का समय महंगाई का समय है। जब हम किसी विवाह समारोह में जाते हैं तो लोग यह देखने लगते हैं कि हम कितना

शगुन दे रहे हैं। जब कोई आर्थिक सहायता मांगने आता है तो हम कहते हैं कि मंत्री या जिलाधीश से दिलवा देते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं आपसे ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी भी यह कहते थे कि विधायक और मंत्रीगण पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें तो उसके लिए हमें उनकी वेतन वृद्धि पर विचार करना होगा। यदि किसी संस्था को मजबूत बनाना है और उसे ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देनी है तो उसके सदस्यों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। यही बात सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होती है। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमें ट्रैफिक से निकल कर आना पड़ता है इसलिए माननीय सदस्यों को झण्डी भी दी जानी चाहिए। अभी पीछे आनन्दपुर साहिब में मेला लगा हुआ था,

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-03-2025/1535/एन0एस0-ए0जी0/1

श्री राकेश कालिया ----जारी

हम पंजाब से होकर आते हैं तो हमें 10 घंटे पहुंचने के लिए लग गए। बार-बार उतर कर यह बताना पड़ रहा था कि मैं विधायक हूं और मुझे शिमला पहुंचना है। वहां होली का मेला लगा हुआ था और कोई पहचान नहीं रहा था। झण्डी से एक पहचान हो जाएगी और हम हर जगह ट्रैफिक में आसानी से निकल जाएंगे। मैं निवेदन करता हूं कि हमें एक फ्लैग अवश्य दे दिया जाए। मुख्य मंत्री जी एक बार कह रहे थे कि असली संत तो हम लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, लोग संतों को दान तो देते हैं लेकिन हम लोग अगर किसी से कुछ इच्छा कर लें तो हम एक मिनट में बदनाम हो जाएंगे। मैं अपने चौथे स्तंभ मीडिया से उम्मीद करूंगा कि हमारा यह पक्ष भी रखा जाए कि हमारे खर्चे क्या हैं? अगर हम किसी कुश्ती में मुख्य अतिथि बन कर जाते हैं और जो हमारे प्रतिद्वंद्वी होते हैं तो वहां पर बोली लगती है कि वह आ रहा है और 51,000 रुपये दे रहा है तथा आप क्या दे रहे हैं? आप तो विधायक हैं। अगर किसी ने मेले में जाना हो तो बोलते हैं कि दूसरा विधायक 11,000 रुपये दे रहा है,

आप क्या देंगे? ऐसी बोली के बीच में विधायक को अपनी इज्जत भी बचा कर रखनी है और मुख्य अतिथि भी बनना है तथा लोगों से तालमेल भी रखना है। यहां मुख्य सचिव व सचिवों के औहदे की बात कही तो इनसे कोई मिलने नहीं आता है। ये अगर किसी से न भी मिलें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास अगर 100 लोग आएंगे तो उन सबको अटैंड करना पड़ेगा। इनके पास शिमला में कोई नहीं आएगा लेकिन हमारे पास शिमला में भी लोग आते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए आज बहुत आवश्यक है कि हम ईमानदारी व इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, आप हमारी सैलरी व भत्ते बढ़ा रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। माननीय जय राम जी से निवेदन करूंगा कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं तो अब आपका भी हमें सहयोग चाहिए। 9 वर्षों के बाद अब यह समय आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं विधायकों के लिए बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि मैं जब पहले विधायक था तब भी सैलरी बढ़ी थी और आज भी विधायक हूं तब भी बढ़ रही है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

28-03-2025/1535/एन0एस0-ए0जी0/2

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया जो मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में आज पेश किया है। विधायकों को बहुत लंबे अरसे से इंतजार था कि उनकी सैलरी व भत्ते बढ़ें। जैसा यहां उल्लेख किया गया कि आज से 8 साल पहले वर्ष 2017 में विधायकों के वेतन व भत्ते बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, 8 सालों में महंगाई कहां से कहां पहुंची है, यह किसी से छिपा नहीं है। अभी यहां पर जिक्र किया गया कि विधायक सबसे बड़ा सोफ्ट टारगेट है। उसको हिट करना किसी के लिए भी आसान है लेकिन विधायक रिटैलीएट नहीं कर सकता है। अभी बहुत से विधायकों ने उल्लेख किया कि हमारी सामाजिक, पारिवारिक व अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति जिम्मेवारी है और उसको हम बहुत निभाते हैं। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान व पूर्व विधायक इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति साफ-सुथरी है।

हिमाचल प्रदेश के राजनीतिज्ञों को साफ सुथरी छवि से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोई कारोबार नहीं हैं। यहां पर जिक्र किया जा रहा था कि विधायक करोड़पति हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सदन में एक-दो को छोड़ कर हम सब साधारण परिवार से हैं। हम बहुत से प्रदेशों में देखते हैं कि दक्षिण प्रदेशों व महाराष्ट्र में हर पॉलिटिशयन के बिजनैस हैं। वे बड़े-बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन हैं। उनके इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजिज चले हुए हैं और उनका सोर्स ऑफ इन्कम हाई है। हिमाचल प्रदेश के विधायक की सिर्फ सैलरी ही सोर्स ऑफ इन्कम है। हमें सामाजिक जिम्मेवारी भी निभानी पड़ती है। हमारे पास अगर कोई मरीज आ जाता है तो जेब से पैसे देने पड़ते हैं। माननीय कालिया जी ने ठीक कहा है। अब तो क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती का टूर्नामैंट या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए पहले ही बारगेनिंग होती है। आजकल वे लोग एक भाजपा का नेता बुलाते हैं और दूसरा कांग्रेस का नेता बुलाते हैं। भाजपा के नेता ने 21,000 रुपये दिए और आपको उससे ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि आप सत्ता में हो। आज हम सामाजिक जिम्मेवारी व सामाजिक कठिनाई को झेल रहे हैं। आज पार्लियामैंट में 24 प्रतिशत सैलरी बढ़ी है और अन्य प्रदेशों की विधान सभाओं में भी सैलरी को बढ़ाया गया है। पहली बार के विधायक व अन्य विधायकों ने मिल करके मुख्य मंत्री जी पर दबाब डाला और

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.03.2025/1540/RKS/AG-1

उद्योग मंत्री... जारी

हम रात तक मुख्य मंत्री को सैलरी बढ़ाने का दबाव डालते रहे। हमने कहा कि यह बजट सत्र का आखिरी दिन है और उसके बाद हम छह महीने बाद इकट्ठे होंगे। अंत में मुख्य मंत्री जी को हमारी बात माननी पड़ी जिसके लिए हम सब मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सैलरी में लगभग 30-35 प्रतिशत की वृद्धि की है। हमारे बारे में यह जिक्र किया जाता है कि हमें टेलीफोन और बिजली की सुविधा फ्री है लेकिन मुख्यत्री जी ने अब टेलीफोन अलाउंस और बिजली की फ्री सुविधा बंद कर दी है। हिमाचल भवन में हमें पहले जो 100-200 रुपये का कमरा मिलता था अब वह कमरा 1200 रुपये में

मिल रहा है। हमें ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जो विधान सभा की ओर से हमें आवास आबंटित किए जाते हैं उसकी एवज़ में हमें अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत हिस्सा जमा करना पड़ता है। हमारी जो सैलरी 55,000 रुपये है उसमें से हमें 5500 रुपये आवास की सुविधा हेतु जमा करवाने पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि विधायकों को जितनी जिम्मेदारियां हैं उसके हिसाब से हमें वेतन नहीं मिलता है। हमें इनकम टैक्स व अन्य चीजों में भी काफी खर्च करना पड़ता है। हमें अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल से हर विधायक को हर माह लगभग 50,000 रुपये की लोन किस्त देनी पड़ती है। हमारी गाड़ी के ड्राइवर, इंश्योरेंस, मेंटिनेंस और पेट्रोल पर हर माह लगभग 50-60 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। हमारा एक लाख रुपये तो फिक्स खर्चा है जो हमें देना ही पड़ता है। हमें अपने परिवार और बच्चों की परवरिश और लोगों की आवभगत के लिए भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमें पानी, खाने और चाय के लिए लोगों को पूछना पड़ता है जिसमें भी काफी पैसा खर्च हो जाता है। हिमाचल का आम-आदमी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री, मंत्रियों और विधायकों से आसानी से मिल सकता है। अन्य राज्यों में मुख्य मंत्री से मिलना तो दूर की बात है वहां पर मंत्रियों से मिलना भी काफी कठिन काम है। यहां पर आप आसानी से विधायकों से मिल सकते हैं। हमारे प्रदेश के सभी विधायकों की राजनीतिक छवि बहुत अच्छी है। हमारे सभी विधायक ईमानदार हैं। अतः हमें अपने विधायकों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री जी ने जो विधायक संस्थान को मजबूत करने के लिए बिल लाया है, उसके लिए पूरा सदन आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है।मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि माननीय विधायकों ने जो अपनी गाड़ियों में झंडे लगाने की बात की है उसमें हमें उम्मीद है कि आप इस सदन से झंडा लगाने की भी घोषणा करेंगे ताकि कल-परसों जब विधायक यहां से जाएं तो वे अपनी गाड़ियों में झंडा लगाकर ही जाएं।

28.03.2025/1540/RKS/AG-2

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सदन के सभी सदस्यों की भावना है, हम उस भावना से अलग नहीं हो सकते। सभी साथियों ने यहां पर अपने-अपने अनुभव बताए। हमारे

वरिष्ठ सदस्य श्री चंद्र कुमार जी ने भी अपने उस वक्त के हालात और परिस्थितियों का जिक्र किया। मेरे पास भी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। मुझे इस माननीय सदन में 28 वर्ष होने वाले हैं। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उस वक्त विधायकों को साढ़े आठ हजार रुपये सैलरी मिलती थी। उस वक्त मैं झंझैहली-शिमला बस से आता-जाता था। जब मैंने बाद में मारूति कार ली तो उस वक्त हमें चार लाख रुपये लोन देने का प्रावधान था। मैंने उस वक्त जो चार लाख रुपये का लोन लिया था उसमें से 2.21 लाख रुपये से मारूति कार ली थी। जब मैं पहली बार उस कार के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रहा था तो मेरा घाघस के पास एक्सिडेंट हो गया। मेरी जान तो बच गई लेकिन जिस मारूति वैन के साथ एक्सिडेंट हुआ उसके मालिक ने मुझे कहा कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए। कसूर किसका था, यह दूसरी बात है लेकिन उसने मुझसे पैसों की मांग की।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1545/बी.एस./डी.सी./-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

उसने कहा कि इतने पैसे आप मुझे यही पर दीजिए। मेरे साथ दो और साथी थे। जितने पैसे वह आदमी मांग रहा था उतने पैसे मेरी जेब में नहीं थे। उसने कहा कि गाड़ी में लगभग 4.50 हजार रुपये खर्च होगा और तब तक मैं गाड़ी नहीं जाने दूंगा जब तक यह पैसा नहीं दिया गया। हम सबने जेब में हाथ डाला और उस व्यक्ति को पैसा दिया। क्योंकि उसकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ था और जो हमारी अपनी गाड़ी का हुआ था वह तो अलग था। उस वक्त मुझे लगा कि हमने इस गाड़ी को ले करके ठीक किया है या गलत किया है? यदि इसी तरह की और टक्कर लग गई तो मुश्किल और बढ़ जाएगी।

वर्ष 1998 से पहले ये मोबाइल नहीं चलते थे, जब मैं विधायक बना तो कहा कि मोबाइल खरीदना चाहिए और खरीद लिया। उस वक्त मोबाइल की कॉल बहुत कीमती होती थी, इंकमिंग कॉल का भी पैसा लगता था। मेरे से गलती यह हो गई कि मेरा मोबाइल नम्बर चुनाव क्षेत्र में सर्कुलेट हो गया। उस वक्त मुझे 8,500 रुपये सैलरी मिलती थी और

मुबाइल का बिल 12,000 रुपये आ गया। आदरणीय संजय रत्न जी कह रहे हैं कि मुझे सुख इस बात का था कि मेरी पत्नी नौकरी करती थी और उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं मुख्य मंत्री बना तो बुकाबला हुआ, नहीं तो घर में ही मुकाबला नहीं होता था। मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग अलग-अलग हालात के दौर से निकले हैं। मैं इस बात को देखता हूं कि जो हमारे यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं उनमें से बहुत कम हैं जिनका अपना कारोबार और व्यवसाय है, बाकी चुने हुए प्रतिनिधि के नाते विधायक बन करके लोगों का काम करते हैं। जैसे आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी ने अनुभव सांझा किए, ऐसे ही एक बार नहीं अनेकों बार हमारे साथ भी हुआ है।

मुझे एक बार निमंत्रण आया कि हमने कल्चरल प्रोग्राम करना है। मुझे अच्छा भी लगा, उस वक्त में विपक्ष पर था। हमने कहा कि हम जरूर आएंगे। उन्होंने निमंत्रण के बाद कहा कि जो कलाकार हम इस प्रोग्राम में बुला रहे हैं उनका खर्चा इतना है और यह आपको देना पड़गा। मैंने कहा कि यह तो बहुत ज्यादा है, यह तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि फलां आदमी इस पैसे को देने के लिए तैयार है। वे हमारे विरोधी

28.03.2025/1545/बी.एस./डी.सी./-2

थे, अब मैं हां करूं या न करूं? हमारे सामने संकट था और इस हालात में मैंने कहा कि कुछ करते हैं, आप थोड़ा पैसा कम करो। उन्होंने कहा कि इतना खर्च तो होगा ही होगी। परंतु आखिरकार फिर बात को मना करके सारी चीजें हुई। परंतु उस कार्यक्रम के बाद वे अगले कार्यक्रमों में और-और लोगों को बुलाने लगे और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जिस क्षेत्र का वह विधायक है वहां पर अन्य लोग पैसा दे करके उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, यह तो स्वाभीमान को भी ठेस पहुंचाता है, चोट भी पहुंचाता है। ऐसी घटनाएं हमारे साथ कई बार हो गई हैं।

एक दिन मेरे पास माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी आए, ये बहुत परेशनी में थे, कहने लगे कि ठाकुर साहब मैं तो बहुत परेशन हो गया। मैंने कहा कि क्या हो गया? कहते हैं कि जब मैं डॉक्टर था तो परिवार का खर्चा बड़े आराम से चलता था और कोई संकट

नही होता था। कहते हैं कि क्या यह सैलरी इतनी ही मिलेगी? या यह ऐसे ही चलता रहेगा? माननीय सदस्य यहीं पर बैठे हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.03.2025/1550/डी.टी./डी.सी.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

खास तौर से हम जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और लोगों के एक्सपेक्टशंस ऐसी बढ़ गई है कि इन्हे पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमको भी लगता है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते नैतिकता का मापदंड निर्धारित करते हुए कुछ चीजों को लेकर हमको करना पड़ता है। हम किसी के दुःख में जाते हैं, सुख में जाते हैं वहां हमको पार्टिसिपेट करना पड़ता है और यह अब आज की तारीख में सारी स्थिति ऐसी तो बन ही गई है कि कोई आदमी गरीब आदमी आते हैं उन्हें इलाज के लिए आवश्यकता है और हमारी आत्मा कहती है कि हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं और मदद करनी चाहिए और हम यथा संभव मदद करते हैं। मैं अकेला नहीं सब जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि है वे हालात के मुताबिक मदद करते हैं। यह हमारी नैतिकता भी बनती है और नैतिकता के साथ-साथ में यह हमारा दायित्व भी बनता है। यदि कोई आदमी दुःख में या संकट में आया है और परेशानी में आया उसकी मदद करें। इसलिए मदद करने के लिए करते हैं लेकिन आखिरकार फिर बात वही आती है। यह बिल सदन में लगभग 9 वर्ष के बाद आया है। वर्ष 2017 के बाद यह इंक्रीज के लिए आया है, जब मैं भी मुख्य मंत्री था उस वक्त भी कई बार अनावश्यक रूप से मुझे लगता है कि गलत धारणाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है। पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में इंक्रीज किया है, कर्नाटक की असेंबली में इंक्रीस हुई है और 200 प्रतिशत इंक्रीज हुई है ,पार्लियामेंट में एरियर के साथ किया है, कर्नाटक का मुझे मालूम नहीं एरियर के साथ किया है या नहीं किया है परंतु यह सच्चाई है। हमें व्यवहारिक होना है। लेकिन जो कांट्रोवर्सी सारी चीजों को ले करके होती है, हमारी मुश्किल यह है कि इंफ्लेशन के साथ

जैसे हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों का इंक्रीज का एक सिस्टम है वह हमारा नहीं है और हमें बिल लाना पड़ता है और जब बिल लाया जाता है तो हमारी पूरी सेवा होती है और हर तरफ से होती है। मैंने पिछली बार थोड़ा सा इंक्रीज किया, इंक्रीज क्या किया कि 3-4 लाख रुपये ट्रैवल अलाउंस किया था, उसमें भी इस तरह से कहा गया कि माननीय उड़ेंगे, माननीय फाइव स्टार में रहेंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं और पता भी कर रहा था कि 70 प्रतिशत माननियों

28.03.2025/1550/डी.टी./डी.सी.-2

ने उसका इस्तेमला ही नहीं किया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब इसका कोई इस्तेमाल करेगा तो खर्च होगा। ऐसा नहीं था कि 4 लाख रुपये आपके खाते में ही जमा हो गया। ये परसेप्शन की बातें हैं। जिनको थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत होती है। उसके बाद मुझे इस बिल में जो बात ठीक लगी है और मैंने अपने समय में भी सोचता था और कुछ चीजें उस वक्त छूट गई और रह गई थीं। क्योंकि उसमें बिल लाने में कुछ कमी रह गई। जब मैंने एक बिल लाया, जब पी0आई0एल0 करके हाइकोर्ट चले गए कि यदि इंकम होती है तो इंकम टैक्स क्यों नहीं देते हैं? मुझे लगता है कि एथिक्स के हिसाब से हमें इंकम टैक्स देना चाहिए और हमने यह फैसला लिया और विधायकों को यह फैसला बहुत महंगा पड़ा, महंगा पड़ा। महंगा मतलब कि एक एक्साइजेबल अमाउंट जाता है। यह कितना जाता है?

अध्यक्षः यह 5-6 लाख रुपये जाता है।

श्री जय राम ठाकुरः हां, यह 5-6 लाख रुपये जाता है और यह एक साल का जाता है और वह 5- 6 लाख रुपये मंत्रियों का जाता है और विधायकों का 3 लाख रुपये जाता है। यह एक बड़ा फैसला था लेकिन उसके बारे में कोई ज्यादा खबर नहीं छपि। मैं चाहता हूं कि अच्छी चीजें आनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इस बिल में एक प्रोविजन यह किया है कि जो टेलीफोन के जो अलाउंस हैं और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पानी का उसमें फैसला किया है और फैसला यही किया कि अब विधायक स्वयं पे करेंगे, नहीं तो यह भी खबर बनती थी कि माननियों का बिजली का बिल, पानी का बिल और टेलीफोन का बिल का जिक्र आता था।

श्रीमती पी.बी. द्वारा जारी...

28.03.2025/1555/HK/PB/1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

वह भी इसमें ही शामिल होगा। यह परिस्थिति देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक जैसी है। समय के साथ-साथ जब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस दौर में मंहगाई भी उतनी ही बढ़ रही है। हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया के साथियों को भी इस महंगाई के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अगर आप मीडिया के साथियों के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं तो उनको भी हरियाणा की तर्ज पर सुविधा देने का प्रावधान कीजिए। स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के आर्थिक संसाधन सीमित हैं। इन संसाधनों के अनुरूप जितना किया जा सकता है, वही उचित है। आपने इस दिशा में जो कदम उठाया है, हम इसका स्वागत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2025/1555/HK/PB/2

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री महोदय अपनी बात रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सदन में अपनी बात रखी है। तकरीबन दो दिन पहले जब संसद में बिल प्रस्तुत हुआ तो उसके बाद श्री केवल सिंह पठानिया, श्री संजय रत्न और अन्य माननीय सदस्य मुझसे मिले। इन्होंने अनुरोध किया कि हमारी तीन मांगे हैं और आप कम-से-कम एक मांग तो अवश्य पूरी करें। उन्होंने कहा कि अब आप मुख्य मंत्री बन गए हैं लेकिन जब आप विधायक थे तो आपको विधायकों के दुःख का पता था। मैंने कहा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल पता है। जब उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई तो उसमें यह बात कही गई कि मंत्रिमंडल और मुख्य मंत्री सरकार होती है और उनके सारे खर्चे सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। विधायक विधान सभा का एक सदस्य होता है, उसका संस्थान विधान सभा सचिवालय है। मैं इससे खुद परिचित था क्योंकि मैंने खुद कहा था कि हमने विधायकों की बिजली की सब्सिडी छुड़ा दी है। जो हमारा बिल 5,7 और 10,000 रुपये आता है उसे अब हम स्वयं भरते हैं। हमें 2,10,000 रुपये भत्ते मिलते हैं। आपने कहा

कि पानी की सब्सिडी भी छोड़ दी जाए, हम वह भी करने को तैयार हैं। उसके बाद हमारा और बिल बढ़ जाएगा। पूर्व मुख्य मंत्री ने उदाहरण दिया कि तकरीबन हर महीने हमें 25,000 रुपये आयकर देना पड़ता है। मैंने जब इसकी शाम को कैलकुलेशन की तो एक्चुअल में हम 1,60,000 रुपये के करीब आयकर दे रहे थे क्योंकि यह आयकर सरकार के खाते में जाएगा। और जो अन्य चीज़ें हैं वे भी सरकार के खाते में जाएगी। मेरे पास जी0ए0डी0 सचिव आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका वेतन कितना है? उन्होंने कहा कि 3,10,000 रुपये है। मेरे पास डॉक्टर्ज अपनी मांगों को लेकर आए और मैंने उनसे पूछा कि आपका वेतन कितना है? उन्होंने कहा कि हमारा एन0पी0ए0 कट गया है। मैंने उन्हें कहा कि एन0पी0ए0 तो अगले बैच वालों का कटेगा, आप कितना आयकर देते हैं? उन डॉक्टर्ज ने कहा कि हम 3,25,000 रुपये आयकर दे रहे हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपने बिजली सब्सिडी छोड़ी है तो उसमें भी आपको आयकर में राहत मिलेगी। एक विधायक को तकरीबन 1,60,000 के करीब आयकर पड़ता था। यह तो दिखता खर्चा है आपने हिडन एक्पेंडिचर को कैलकुलेट नहीं किया है। विधायक बनने के बाद सबसे पहले वह एक मायाजाल में फंस जाता है। विधानसभा सचिवालय का मायाजाल ऐसा है कि आपको 50 लाख गाड़ी का लोन मिलेगा। विधायक फिर छोटी गाड़ी लेने की नहीं सोचता है।

28.03.2025/1555/HK/PB/3

वह सोचता है कि मेरे साथ पांच-सात लोग और बैठ जाएं इसलिए वह सकॉर्पियो या इनोवा खरीदेगा। जिनका अपना व्यापार है वे फाच्यूनर गाड़ी खरीदते हैं। जो विधायक ग्रामीण परिवेश से आता है वह सकॉर्पियो खरीदता है। विधायक गाड़ी का लोन उठाने के बाद इंटरस्ट का मायाजाल नहीं समझ पाता है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

28.03.2025/1600/H.K/A.P/1

मुख्य मंत्री जारी .....

वह सोचता है कि यह तो सिर्फ चार प्रतिशत इंटरेस्ट है और वह लोन उठा लेता है। उसकी 40 हज़ार की किस्त बनती है और बीच में उसकी किस्त टूटती जाती और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज्यादा हो जाता है। उसको अपना 25-30 लाख रुपये पूरा करने में ही 10

से 15 साल लग जाते हैं। लोन का इंटरेस्ट तो उसको देना ही होता है और साथ में 15 हज़ार ड्राइवर की सैलरी भी देनी होती है। गाड़ी में डीजल का खर्चा अलग से होता है। फिर क्या होता है ? कुछ लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं, जो संपदा का दोहन करते हैं। वह हमारे साथी बन जाते हैं। चाहे कुर्सी इस तरफ की हो या कुर्सी उस तरफ की हो। उनके 5-7 विधायक दोस्त बन जाते हैं। वह विधायकों के खर्चें की पूर्ति करने लग जाते हैं और खर्चों की पूर्ति के साथ वह उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते और अगर उठाते भी हैं तो दबी-सी आवाज होती है। संपदा हमारी होती है। उसका दोहन कैसे हो रहा है, बेइमानी से या सही तरीके से, यह एक बात सोचने वाली बात है। हमने उस दृष्टि को सोचा। अगर वह विधायक दूसरी बार जीत कर न आए और 10 साल घर में बैठा रहे। मेरे पास ऐसे केस आए हैं। एक पूर्व विधायक हैं, वह एक बार जीत कर आये तो उन्होंने ज़मीन खरीद ली और उन्होंने सोचा कि वह अगली बार भी विधायक बन जाएंगे। लेकिन जनता ने उसे नहीं जीताया और फिर उसकी कुर्की के समन तक आ जाते हैं। विधायक जनता का एक नुमाइंदा होता है, जो अपनी नैतिकता और पारदर्शिता से जनता की सेवा करना चाहता है। जब उसकी मजबूरी हो जाती है, तब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जो बिजनेस करते हैं वे लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमें इस दृष्टि से आगे सोचना है कि कोई भी सदन में चुनकर आए तो उसकी मानसिकता मजबूत हो कि मुझे सरकार की तरफ से जो मिल रहा है, मैं उसमें अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सकूं, यह हमारी मंशा है। पूरा कैलकुलेशन किया गया और मैं यह इसलिए भी कहना चाहता था कि विधायक एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं नहीं बल्कि उस विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक संरक्षक और सेवक है। अब ऐसा काम्पिटिशन आ गया कि कई लोगों ने हिमाचल की संपदा में अथाह लूट मचाई है। अब वह क्या होता है कि कुछ लोग महिला मंडल के पास चले जाते हैं और वह 50,000 रुपये दे देते हैं और चुनावों से पहले वह आज़ाद उम्मीदवार

28.03.2025/1600/H.K/A.P/2

चुनकर आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई विधायक अपना राजनीतिक ईमान, मंडी में न बेचें। उसे ऐसी चीज़े मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी ईमानदारी से सम्मानपूर्वक जीवन

जी सकें। लेकिन जब वह 50,000 रुपये दे देता है, वह चुनावों से पहले ही बड़ा अच्छा काम कर देते हैं। जो विधायक चुन कर आता है वह चुनावों के बाद किसी तरह तोड़-मरोड़ करके अपना पैसा लगाता है। कुछ लोग जो विधायक बनना चाहते हैं, वह विधायक चुनावों से पहले ही 50 से 70 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं और जनता सोचती है कि यह हमारे सच्चे सेवक हैं, जो अपनी जेब से 50 लाख रुपये दे रहे हैं। लेकिन जनता उसके व्यापार का ध्यान नहीं रखती कि वह किस प्रकार आपकी संपदा को लूट रहे हैं और वह विधायक बन जाते हैं। जब विधायक बन जाते हैं तो नीतियों को प्रभावित करने लग जाते हैं। सदन में आकर बोलने लग जाते हैं। इन चीजों से भी हमें बचाना है। हमें ईमानदार, पारदर्शिता और नैतिकता वाली राजनीति को बढ़ावा देना है। मैं, 2 साल से मुख्यमंत्री हूं, जैसी हमारी स्थिति है, हमने चोर दरवाजे बंद करके संपदा का भाग सभी कर्मचारियों को और लोगों को भी दिया है। हमने सब कुछ सोच-विचार करने के बाद पाया कि हमें विधायकों के सम्मान के लिए इस नीति को बढ़ाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वर्ष 2016 में यह वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए थे। वर्ष 2016 के 9 साल बाद इन्फ्लेशन देखिए, आज जैसे विधायकों को महंगाई भत्ता 1 लाख 60 हज़ार रूपये मिलता है, अगर सही मायने में देखें तो 80 हज़ार रुपये आपको मिलते थें। बाकी आप जो अपनी जेब से जनहित में पैसे बांटते हैं वह आपके अकाउंट में नहीं आते है और लास्ट में आप अपने अकाउंट में देखते हैं, जो विधानसभा के यूको बैंक में आप सभी अपने अकाउंट में देखना पैसे बचते ही नहीं है। वह सैलरी दिखाई देती है, लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाती है। यह जितना भी पैसा बढ़ा है, यह दिखाई देगा, लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाएगा। इन्फ्लेशन के हिसाब से यह काफी समय पहले बढ़ जाना चाहिए था। 9 साल बाद के इन्फ्लेशन कि अगर बात की जाए तो उस हिसाब से अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमने उस हिसाब से उतना नहीं बढ़ाया। लेकिन

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

28.03.2025/1605/एटी/वाईके/1

मुख्य मंत्री जारी ....

मैंने इसमें लिख दिया है कि प्राइस इंडेक्स जो होगा आने वाले समय में, उसके हिसाब से इसको बढ़ाया जाएगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड के समय जब जरूरत होती है तो पूर्व मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने सभी विधायकों की एक साल के लिए 30 प्रतिशत सैलरी को कट लगाया था क्योंकि समाज को जरूरत थी । हम सब लोगों ने उसमें योगदान दिया था। मैंने तो अपने 11 लाख रुपये भी इनको निकालकर दिए थे। इन्होंने सोचा कि इस समय मैं खुद मुख्य मंत्री हूं और सभी विधायकों की 30 परसेंट सैलरी को कट लगाया। उस समय जो सबसे पहले खड़े थे, वे हम विधायक थे। जो आपने नोटिफिकेशन की थी, वह उस समय की ज़रूरत थी। क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था चर्मरा रही थी। सबसे पहले इस सदन के सभागार के सदस्यों पर कट लगा था । जो कि आपने एक अच्छा काम किया था। उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के खिलाफ हम सब लोग लड़ने की कोशिश कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से एम0पीज़0 ने बढ़ाया और उनको वर्ष 2023 से एरियर भी दिया। उनकी बेसिक सैलरी 1.25 लाख हुई है। एम0पी0 के अलांउसिज़ अलग हैं । हमने अपनी सैलरी में लगभग 25 से 30 हजार रूपये की बढ़ोतरी की है । जो कि 24 या 26 परसेंट के लगभग बनती है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपने बिल कम देखा है, दो-तीन चीजें हमने आपकी खत्म की हैं। आपके पास तो सूचना आई होगी, जो आप बोल रहे थे। हमने सेक्शन- 5 को खत्म कर दिया है। यानी कि जो 20000 रुपये हमारे विधायकों को टेलीफोन बिल मिलता था, उसको मैं खत्म करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने एक और काम किया। सेक्शन-5ए में जो हमारे पास अगर हम बिल लाते और इसको न पढ़ते तो और बढ़ जाता लेकिन हमने पढ़ा जिसमें पानी और बिजली के बिल को भी खत्म करने की मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्स एम0एल0ए0 का सेक्शन-6cc, 'shall' को भी जो टेलीफोन के बिल से संबंधित है, उसको भी हम खत्म करने की घोषणा करते हैं। अब सिर्फ दो अलाउंसिज़ मिलेंगे। एक चुनाव क्षेत्र अलाउंस मिलेगा और एक ऑफिस अलाउंस मिलेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी व्यक्ति जो इस संपदा का दोहन करते हैं

28.03.2025/1605/एटी/वाईके/2

चाहे पानी के बिल के रूप में करते हैं, चाहे बिजली के बिल का दोहन करते हैं, वह आम आदमी की तरह, आम जनता की तरह अपना बिल पे करें । आप लोगों से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ी है तो 6 -7 हजार रुपये तो आपके इसमें ही कट जाएंगे। जो शिमला में रहने वाले विधायक हैं उनके भी इसमें पैसे कटते हैं। एक चीज़ और है, जनता बोलती है कि मुफ्त में, 5000 से 7000 रुपये के मेट्रोपोल में जब विधायक शिमला आते हैं तो इनको घर का किराया देना पड़ता है । इसमें उसको लागू रखा है। क्योंकि आपको हमें सब चीजों को देना है, हम युनीफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। पिछले दिनों हमने जब कहा कि हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में रहने के लिए 100 रूपये विधायकों को मिलता है, हमने उसमें कहा कि जो आम नागरिकों को 1200 रूपये मिलता है, उसी को लाने के लिए हमने रूल्ज़ में परिवर्तन किया और उसको लाया है। इस समय इनकी जरूरत के हिसाब से सभी सदस्यों की चिंता से हम अवगत है। यह आपकी मेहनत की कमाई है। आप चुनकर आते हैं। सुबह 6:00, 7:00 बजे उठते हैं दिन-रात मेहनत करते हैं और आपको सदन में जनता की आवाज बन कर आना है। गरीब का दर्द भी सुनना है, पीड़ा भी सुननी है फिर उनके साथ प्यार से बात भी करनी है। सब लोगों से सुनकर ही हमको आगे बढ़ना है। हमने जब समाज के सभी वर्गों का थोड़ा-थोड़ा पैसा बढ़ाया है, मैं चाहता हूं कि सदन के सदस्यों के साथ भी हमारा मतभेद नहीं होना चाहिए। इस सदन के सदस्यों के साथ भी हमें जो 9 साल से नहीं हुआ, वह अब बढ़ाने का समय आया है और मैं चाहूंगा कि इस बिल को सभी ध्वनि मत से पास करें, यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

श्रीमती एमडी द्वारा जारी---

28.03.2025/1610/yk/MD/1

अध्यक्ष : जारी

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण :

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 9) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 9) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 9) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 9) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 9) पारित हुआ।

28.03.2025/1610/yk/MD/2

विचार :

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) पर विचार किया जाए।

अगर इस पर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। यहां पर सभी सदस्यों ने जो अपनी-अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी विधायक ही होते हैं। अगर मैं अपनी वेदना सुनानी शुरू करूं तो एक घंटा लग जाएगा। इसलिए अपनी वेदनाएं व्यक्त न करते हुए और आपकी संवेदनाओं में अपने आपको शामिल करते हुए मैं अब इस बिल को विचार के लिए ले जा रहा हूं।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4 व 5 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

28.03.2025/1610/yk/MD/3

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण :

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 10) पारित हुआ।

28.03.2025/1610/yk/MD/4

अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल नियम-324 के अंतर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अंतर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार है :-

मैं सरकार का ध्यान शिमला ग्रामीण विधान सभा निवार्चन क्षेत्र के अन्तर्गत गांव कड़ोग, ब्लॉक टुटू, पंचायत नेरी, तहसील व जिला शिमला में क्षतिग्रस्त Breast/Retaining wall की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, Description ID/2024/319/c/o के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी, परन्तु इस सडक में अभी तक न तो कोई रीटेनिंग वॉल विभाग द्वारा लगाई गई है और न ही इसके निर्माण हेतु कोई निविदाएं आमंत्रित की गई है। जिस कारण आम जनता को कठिनाई हो रही है। अतः मेरा लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन है कि जनहित में सड़क का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करने की कृपा करें।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम 324 के अन्तर्गत उठाए गए इस मामले के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि लोअर गवाही-कड़ोग को जाने वाली सड़क का शुरू का 200 मीटर हिस्सा नगर निगम सीमा में आता है। इस सड़क के शुरू में भूस्खलन होने से सड़क क्षतिग्रस्त है। परन्तु वाहनों की आवाजाही सही तरह से हो रही है। इस क्षतिग्रस्त हिस्से पर रिटेनिंग वॉल व ब्रेस्ट वॉल लगाने के लिए उपायुक्त शिमला द्वारा राशि ₹15.00 लाख एस०डी०पी० शीर्ष के तहत स्वीकृत की गई है। नगर निगम शिमला द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए दिनांक 22-03-2025 को निविदाएं आमन्त्रित की गई है जोकि दिनांक 10.04.2025 को खोली जाएंगी। उसके उपरान्त शीघ्र ही कार्य ठेकेदार को आबंटित करके क्षतिग्रस्त हिस्से के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

28-3-2025/1615/केएस/एजी/1

अध्यक्ष जारी ---

सत्र का समापन

अब सदन समाप्ति की ओर है। ...(व्यवधान) जब सदन समाप्ति की ओर जा रहा है तो जो आपकी बातें बच गई हैं, मुख्य मंत्री जी उन पर भी अपनी चिंता व्यक्त करेंगे। अब मैं नेता प्रतिपक्ष व मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहें तो आपका स्वागत है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा सत्र में कई ऐतिहासिक बिल लाए गए हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल आर्गेनाइज्ड क्राइम और एंटी ड्रग्ज़ के लिए हम ले कर आए हैं। इस सदन ने उसको ध्वनि मत से पास किया, इसके लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आप संचालन करते हैं और जिस प्रकार से आप विपक्ष को अधिक समय देते हैं, यही लोकतंत्र की मुख्य विशेषता होती है। विपक्ष के पास जो इनकी विधान सभा क्षेत्र से मुद्दे आते हैं या जनता के प्रभाव में मुद्दों को देखकर वे अपनी बात रखते हैं और सरकार का यह प्रयास रहता है कि हम उनके सही उत्तर आपके समक्ष रखें। कई बार भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं। भावनात्मक मुद्दों पर भी हमारी सरकार कार्रवाई करती है लेकिन हर चीज़ के हर पहलू को देखने के बाद ही कोई फैसला उसमें किया जाता है। मैं मानता हूं कि इस विधान सभा की अपनी एक परम्परा रही है। यह परम्परा हम सभी लोग कई वर्षों से निभाते आए हैं। इस बार विपक्ष ने सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभाई है, इन्होंने बहुत कम वॉकआउट किया है और अपने प्रश्न ज्यादा किए हैं। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। वॉकआउट से न्यूज़ बन सकती है लेकिन आपके जरूरी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आपकी चर्चाएं खत्म हो जाती हैं। अध्यक्ष जी, वॉकआउट एक राजनीतिक हथियार है लेकिन इसका इस्तेमाल सही समय पर हो तो अच्छा रहता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे युवा साथी पहली व दूसरी बार चुनकर विधान सभा में आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखें और इन विचारों को हमारे विधान सभा के स्टाफ ने सब

जगह रखा है। मैं विधान सभा के स्टाफ का तथा सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं सभी पुलिस कर्मचारियों का जो दिन-रात विधान सभा की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। पत्रकार बंधु जो हमारी खबरों को आम लोगों तक पहुंचाते हैं, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी,

28-3-2025/1615/केएस/एजी/2

जिस प्रकार से आप कार्यवाही का संचालन करते हैं, उसके लिए मैं आपका सबसे अधिक धन्यवाद करना चाहूंगा। विपक्ष के नेता पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, विपिन सिंह परमार जी, रणधीर शर्मा जी, इन्द्र दत्त लखनपाल जी तथा सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुमूल्य विचार रखे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग आपके विचारों को ध्यान में रखकर ही आगे की रणनीति के बारे में सोचते हैं कि हमें क्या करना है। आप हमें जागरूक करते रहते हैं और हम उस पर अच्छा सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं। सत्ता आती है, जाती है। सत्ता पक्ष भी रहता है और विपक्ष भी रहता है लेकिन राजनीतिक जीवन में एक बार सत्ता में आने का मौका मिलकर कुछ अच्छे कार्य करने की कोशिश हो। मेरे जीवन का स्वभाव है कि मैं अपने आपको आज समझकर काम करता हूं। कल की मैं चिंता नहीं करता। आज हूं तो मुझे काम करना है और मुझे काम प्रदेश हित में करना है, यह सोचकर मैं काम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। ...(व्यवधान) नहीं तो ये मेरे पास दूसरी बार नहीं आएंगे। एक बार और डैपुटेशन ले कर आएंगे, उस समय आपकी झंडी का ख्याल करेंगे। मेरा सभी के साथ अति प्यार है, प्यार बना रहे। धन्यवाद।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आज यह बजट सत्र वर्तमान सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत होने के बाद समापन की ओर है। हालांकि यह सत्र जितने बजट सत्र यहां रहे हैं, उसकी तुलना में छोटा सत्र रहा

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.03.2025/1620/AV/ag/1

श्री जय राम ठाकुर -------- जारी

उसके बावजूद मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण या कट मोशन्ज के संदर्भ में खुले मन से चर्चा की है। यहां पर सभी को बोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय मिला और हाउस को बढ़ाया भी गया। यहां पर आपने सभी को अपने-अपने विचार रखने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश की विधान सभा छोटी है। लेकिन यदि यहां विधान सभा की कार्यवाही की चर्चा का स्तर और उसमें माननीय सदस्यों की एक्टिव पार्टिसिपेशन की बड़े-बड़े राज्यों से तुलना की जाए तो हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही बेहतर स्थान पर आकर खड़ा होता है। मैंने इस बात को भी देखा है कि बहुत बड़े-बड़े राज्य हैं लेकिन वहां विधान सभा का बजट सत्र केवल एक सप्ताह या पांच दिन का होता है। इस बार हमारी बजट सत्र की 15 सीटिंग्ज हुई हैं। यहां पर पहले 20-22 सीटिंग्ज वाला बजट सत्र भी होता रहा है। अगर इस बार भी उतना ही होता तो भी सभी माननीय सदस्य सरकार को बिजनैस देकर उस हिसाब से यहां पर चर्चा करने के लिए तैयार थे।

अध्यक्ष महोदय, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। हमारी सारी बातों से सरकार सहमत होंगी यह भी सम्भव नहीं है और न ही विपक्ष सरकार की हर बात पर सहमत हो सकता है। प्रदेश-हित में जो हमें आवश्यक लगते थे, हमने वे मुद्दे उठाने के प्रयत्न किए हैं। वह चाहे सदन के अंदर की बात है या सदन से बाहर की बात है। यहां पर जैसे मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि विपक्ष द्वारा ज्यादा वॉकआउट नहीं किया गया। एक-आध बार की घटना को छोड़कर इस बार वॉकआउट नहीं किया गया। ...(व्यवधान) थोड़ा होता है। कई बार हमें जब ऐसा लगता है कि हमारी यह बात सुननी चाहिए तथा सुननी ही नहीं बल्कि माननी भी चाहिए और वह नहीं मानी जाती तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति बनती है। मैं यहां पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां पर सभी ने जनहित के मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से उठाए हैं। यहां पर सभी ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र के मुद्दे बड़े जोरदार ढंग से उठाए हैं। उसके बारे में सत्ता पक्ष ने भी अच्छे ढंग से जवाब देने की कोशिश की है। यह

28.03.2025/1620/AV/ag/2

दौर तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। यहां पर अभी जैसे मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हमेशा के लिए न तो हम होंगे और न ही आप होंगे तथा न ही सत्ता पक्ष में होंगे व न विपक्ष में होंगे। सत्ता में आने-जाने यानी सरकार बदलने का क्रम तो चलता ही रहेगा। लेकिन हम प्रदेश के लिए अच्छा कर सकें; यह भाव सत्ता पक्ष व विपक्ष में रहते हुए हमेशा ही होना चाहिए क्योंकि प्रदेश सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि यहां पर हम सभी ने इसी भावना के साथ प्रयास किए हैं।

यहां पर विधान सभा के सचिवालय ने बहुत ही परिश्रम के साथ काम किया है। विधान सभा सत्र के दौरान इनको ज्यादा काम करना पड़ता है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं।

मैं अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने इस सत्र के संचालन के दृष्टिगत जो जानकारियां चाहिए थीं, उनको उपलब्ध करवाया है।

हमारी बात को जन-जन तक पहुंचाने में हमारे मीडिया के साथियों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।

टी सी द्वारा जारी

28.03.2025/1625/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
श्री जय राम ठाकुर ... जारी

मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और यह भी अपेक्षा करता हूं कि सही बात निष्पक्ष रूप से जनता तक पहुंचे। आज की चर्चा को भी मीडिया द्वारा सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस कुशलता और निष्पक्षता से आपने सदन का संचालन किया, वह सराहनीय है। सदन में

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को उचित समय देने की बात आती है। आपने सभी को चर्चा का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं आपका और उपाध्यक्ष महोदय का हृदय से धन्यवाद करता हूं।

मैं सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। सदन में उनके बहुमूल्य योगदान के कारण ही विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा संभव हो सकी।

अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : आज बजट सत्र की अंतिम बैठक है। इस सत्र में कुल 16 बैठकें निर्धारित थीं, लेकिन होली के उपलक्ष्य में 15 मार्च की बैठक स्थगित कर दी गई थी। सत्र के दौरान 572 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए, नियम-44 के तहत 196 अतारांकित प्रश्न और नियम-46 के तहत तीन विषय प्राप्त हुए, जिनके उत्तर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाए गए और सभा पटल पर रखे गए।

नियम-61 के तहत दो विषय और नियम 62 के तहत 10 विषयों पर चर्चा हुई, जबकि नियम 67 के तहत कोई विशेष विषय चर्चा के लिए नहीं आया। नियम 130 के अंतर्गत 14 विषय प्राप्त हुए, लेकिन यह बजट सत्र था और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तथा बजट पर विस्तृत चर्चा के कारण इन्हें सदन में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे सारे विषय अन्यथा चर्चा में आ गए थे।

28.03.2025/1625/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

इस सत्र में दो दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस के रूप में निर्धारित थे। माननीय सदस्यों से नियम 101 के अंतर्गत सात गैर-सरकारी संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से तीन संकल्प चर्चा के उपरांत सदस्यों द्वारा वापस लिए गए। नियम-324 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से एक विषय प्राप्त हुआ, जिसका उत्तर संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया।

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों से 24 विषय प्रस्तुत हुए, लेकिन उनमें से कई नियमों की परिधि में नहीं आते थे क्योंकि बार-बार वही विषय प्रश्नों और सूचनाओं के माध्यम से माननीय सदन में रखे जा चुके थे। हालांकि, माननीय सदस्यों के विशेष अनुरोध पर 15 विषयों को शून्यकाल के दौरान माननीय सदन में उठाने का अवसर प्रदान किया गया। मेरा सदैव प्रयास रहा है कि सदस्यों को सभी विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिले और इस सत्र में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, बजट चर्चा तथा कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सभी विषयों को सदन में उठाने का अवसर दिया गया।

इस सत्र की कार्रवाई लगभग 73 घंटे तक चली और सदन की उत्पादकता 110 प्रतिशत रही। ठाकुर जय राम जी ने सही कहा और इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह एक प्रभावी सत्र रहा। हरियाणा राज्य के माननीय अध्यक्ष भी इस सदन की कार्रवाई को देखने आए थे और उन्होंने भी हमारे माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और उनके द्वारा प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों को उठाने के तरीके की सराहना की। उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए आए थे लेकिन उस दिन सत्र नहीं था। हमारा एक अपना इतिहास है और हमारे सामने विट्ठल भाई पटेल का पोर्ट्रेट है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

28-03-2025/1630/एन0एस0-डी0सी0/1

अध्यक्ष ----जारी

इसलिए सदन के सभी माननीय सदस्य और जब कभी मैं यहां से वहां होने का प्रयास करूं तो सामने से आदेश आता है कि आपकी ड्यूटी न्यूट्रल रहने की है, सभी को समय देने की है और हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े हुए विषयों को चर्चा में लाने की है। मैं समय-समय पर इनके आदेश की पालना करते हुए उस काम को करता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि सभी को समय मिले। मुख्य मंत्री जी सदन के नेता हैं और सदन के नेता को हर विषय के ऊपर जानकारी देनी होती है तथा हर विषय जो प्रतिपक्ष से उठे और हिमाचल प्रदेश के जन-जन तक वह विषय पहुंचे तो उसकी जानकारी भी देनी होती है। इसलिए समय दिया जाता है। सबसे ज्यादा समय मुख्य मंत्री को ही मिलता है क्योंकि वे सदन के नेता हैं। उसके

बाद नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी को समय मिलता है और ये पूर्व मुख्य मंत्री भी हैं। मेरा प्रयास रहा है कि जो पहली बार के नए विधायक हैं उनको समय मिले। मुझे इस बात की खुशी व प्रसन्नता है कि इन दो सालों के इस अवसर में कुछ विधायकों को एक वर्ष व कुछ को दो वर्षों का समय हुआ है तो नए विधायकों ने विधान सभा की कार्यवाही को समझते हुए और नियमों की पालना करते हुए अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों से संबंधित विषयों को बहुत गंभीरता के साथ, सतर्कता के साथ नियमों की परिधि में उठाया है तथा यहां से हिमाचल प्रदेश की जनता को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है।

मैं मुख्य मंत्री जी, उप-मुख्य मंत्री जी व मंत्रिमण्डल के सभी माननीय सदस्यों, संसदीय कार्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों और सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि समय-समय पर जो मैंने यहां रूलिंग्ज दीं और समय-समय पर सहयोग की अपेक्षा की तो आप सबका सहयोग मुझे मिला है। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं इलैक्ट्रोनिक्स व प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज हमने आखिर में तीन बिल अपने लिए पास किए हैं और मीडिया के साथियों का प्रस्तुतीकरण भी मेरे पास आया है जिसको मैंने सरकार के पास संज्ञान के लिए भेजा है। इलैक्ट्रोनिक्स व प्रिंट मीडिया के साथी दिन-रात काम करते हैं, खतरों से खेलते हैं और इन्हें भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में सरकार इसको कंसीडर करे कि उनको भी हरियाणा की तर्ज पर

28-03-2025/1630/एन0एस0-डी0सी0/2

पेंशन के रूप में कोई सहायता मिले। मैं पुलिस के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिन-रात सदन में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए छोटे कांस्टेबल से लेकर बड़े से बड़े उच्च अधिकारी ने काम किया है। विधान सभा सचिवालय के सचिव, समस्त कर्मचारियों ने दिन-रात विधायकों के प्रश्नों के उत्तर हासिल करवाने के लिए काम किया है और विधान सभा सचिवालय के सभी उच्च अधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबके सहयोग से सदन की 15 बैठकों में हम सबने मिल कर काम किया है। आप सबका बहुत-बहुत आभार है। सदन में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें हिमाचल

प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषय पर चर्चा न हुई हो। अगर कोई विषय छूटा है तो शून्य काल के माध्यम से भी सदन के ध्यान में लाया गया है। मुझे सरकार से अपेक्षा है और सरकार बहुत संवेदनशील है, विषयों को बहुत गंभीरता से लेती है और प्रशासन के अधिकारी भी विषयों को गंभीरता से लेते हैं कि जो निर्णय हमने यहां सदन में लिए हैं उनको आप अक्षरशः लागू करेंगे तथा हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा व सुरक्षा करेंगे।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा मण्डप में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमलाः 171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 28 मार्च, 2025 **सचिव,**